तृतीय माला, खण्ड ११—अंक २६

मंगलवार ११ दिसम्बर, १९६२
२० अग्रहायण, १८८४ (शक)

लोक-सभा

वाद-विवाद

P-75
26
15-1-63

(तीसरा सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड ११ में अंक २१ से अंक २६ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ से १५ . . .	२१०५—१३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
अतारांकित प्रश्न संख्या ८५८ से ८७२ . . .	२११३—१६
लोक सभा के आगामी सत्र के बारे में	२११६—२१
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में .	२१२१—२३
कपास के मूल्यों में कथित गिरावट और कपास के उत्पादन पर इसका प्रभाव	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२१२३–२४
गैर-सरकारी सदस्यों क विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	
कार्यवाही सारांश . . .	२१२४
याचिका समिति	
कार्यवाही सारांश	२१२४
राज्य सभा से संदेश	२१२५
सभा का कार्य	२१२५–२६
संविधान (पन्द्रहवां संशोधन) विधेयक . . .	२१२६—३७
संयुक्त समिति को सौंपने के बारे में प्रस्ताव .	२१२६—३७
श्री च० का० भट्टाचार्य .	२१२६–२७
श्री बड़े . . .	२१२७
श्री पं० शा० देशमुख . .	२१२७–२८
श्री अ० ना० विद्यालंकार . .	२१२८–२९
श्रीमती सरोजनी महिषी . .	२१२९–३०
श्री स० मो० बनर्जी . . .	२१३०
श्री हरिश्चन्द्र माथुर . .	२१३०—३२
श्री दी० चं० शर्मा . . .	२१३२
श्री अ० कु० सैन	२१३३—३७

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

[शेष मुख पृष्ठ तीन पर देखिये

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

मंगलवार, ११ दिसम्बर, १९६२

२० अग्रहायण, १८८४ (शक)

लोक-सभा बारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

कांगो में भारतीय फौज

+

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १३. { **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** **श्री बड़े :** **श्री यशपाल सिंह :**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारी फौजें कब तक कांगो से वापस आ सकेंगी ; और

(ख) क्या सरकार को इस विषय में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव से कोई सूचना मिली है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह) :** (क) और (ख). जैसा कि प्रधान मंत्री ने ८ नवम्बर को इस सभा में बतलाया है, हमने महासचिव को सूचित कर दिया है कि जैसे ही संयुक्त राष्ट्र संकट के समय शांति के कार्यों में सफलता के बिना भी हमारी सेनाएं छोड़ना चाहेगा, हम अपनी सेना वापस बुलाना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव कांगो में स्थिति के बारे में हमें सूचित करते रहते हैं परन्तु उन्होंने अभी हमारी सेना की वापसी के लिये कोई तिथि नियत नहीं की है।

---

†मूल अंग्रेजी में

2427 (Ai) LSD—1.

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** कांगों की स्थिति के बारे में हमें समाचारपत्रों से पता चलता रहता है। परन्तु क्या मैं जान सकता हूं कि क्या महा-सचिव हमें इस बारे में कुछ बता सके हैं कि वह हमारी सेना को कब छोड़ देंगे? क्या इस बारे में उनसे टेलीफोन आदि पर कोई बातचीत की गयी है।

†**श्री दिनेश सिंह :** महा-सचिव व्यवस्था कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि हमें ये सेनायें शीघ्र वापस मिल जायेंगी। उन्होंने अभी तक कोई निश्चित तिथि नहीं बतायी है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या इस बारे में किसी कठिनाई का सरकार को पता है? क्योंकि और भी अन्य कोई तटस्थ देश है जो अपनी सेनायें दे सकती हैं। हमारी सेनायें वहां बहुत समय से हैं। अन्य तटस्थ देशों से सेना प्राप्त करने में महासचिव ने क्या कठिनाई बताई है?

†**श्री दिनेश सिंह :** उन्होंने ऐसी कोई कठिनाई नहीं बतायी है। यह किसी एक देश से बड़ी और समेकित सेना का प्रश्न है।

†**श्री बड़े :** विदेशों में, कांगो में और गाजा में, हमारी कितनी सेना है और उन्हें कब हटाया जा रहा है, क्या सेना को उसी देश को वापस भेजा जा रहा है?

†**श्री दिनेश सिंह :** मुझे ठीक संख्या का पता नहीं है परन्तु मैं समझता हूं कि कांगों में यह ५ या ६ हजार है।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** अब जब कि चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया है, अल्टीमेटम या युद्ध की धमकी का क्या प्रश्न है, क्या सरकार गाजा पट्टी में संयुक्त राष्ट्र आपातकालीन सेना में से अपनी सेना को वापस बुलाने पर विचार करेगी, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

†**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रश्न कांगों के बारे में है।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** एक पूर्व अवसर पर, जब कांगो पर प्रश्न पूछे जा रहे थे तो, गाजा के बारे में अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने की अनुमति दी गयी थी क्योंकि यह भारत से बाहर अन्तर्संबंधित सेना है। मैं समझता हूं कि यह प्रश्न पूछे जाने की अनुमति दे दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि मंत्री महोदय उत्तर देना चाहते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नही है।

†**श्री दिनेश सिंह :** मैंने कांगो में सेना के बारे में बता दिया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह गाजा के बारे में पूछ रहे हैं यदि मंत्री महोदय उत्तर दे सकें तो दे सकते हैं; अन्यथा यह वर्तमान प्रश्न से प्रत्यक्ष रुप से सम्बन्धित नहीं हैं माननीय सदस्य यह पूछ रहे हैं कि क्या अन्य स्थानों पर से हमारी अन्य सेना को भी वापस बुलाया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : हम अपनी सारी सेना वापस बुलाना चाहते हैं परन्तु हम संयुक्त राष्ट्र द्वारा अथवा मित्र देशों द्वार की गई व्यवस्था में गड़बड़ नहीं डालना चाहते। हमें मित्र देशों से बड़ी सहायता मिल रही है। हम इस मामले में उन्हें कठिनाई में नहीं डालना चाहते। परन्तु जैसा बताया जा चुका है, संयुक्त राष्ट्र महा-सचिव ने हम बताया है कि वह यथा संभव शीघ्र हमारी सेना की वापसी की व्यवस्था करेंगे।

†श्री रंगा: पिछली बार भी प्रधान मंत्री जी ने यही उत्तर दिया था। इस में कोई प्रगति हुई मालूम नहीं होती है।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : उस समय मैंने यह कहा था कि मामला महा-सचिव को सौंप दिया गया है। अब हमें उन से उत्तर मिल गया है कि वह यथा संभव शीघ्र हमारी सहायता करेंगे।

†श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ब्रिटिश और अमरीकी राजनीतिज्ञों ने भारत-पाकिस्तान सीमा से हमारी सेना की वापसी देखी है—क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इन राजनीतिक संसाधनों के जरिये संयुक्त राष्ट्र पर प्रभाव डालेगी कि वे हमारी सेना को छोड़ दें।

†अध्यक्ष महोदय : परन्तु यह उत्तर दिया जा चुका है कि महा-सचिव यथा संभव शीघ्र. . . . व्यवस्था कर रहे हैं ...

†श्री हेम बरुआ : मेरा कहना है कि, यदि आवश्यक हो तो, इन ब्रिटिश और अमरीकी संसाधनों के जरिये क्या संयुक्त राष्ट्र पर कोई प्रभाव डाला जायेगा।

†अध्यक्ष महोदय : किसी राजनीतिक दबाव अथवा प्रभाव की क्या आवश्यकता है जब सीधे उन्होंने महासचि से कहा है और उन्होंने आश्वासन दे दिया है कि वह व्यवस्था कर रहे हैं।

पेकिंग रेडिओ के प्रसारण

+

†अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४.
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री हेम बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेकिंग रेडियो के प्रसारणों को मानीटर (अनुश्रवण) करने के लिये कुशल व्यवस्था कर दी गई है;

(ख) क्या यह सच है कि पेकिंग रेडियो से प्रसारित किये जाने वाले हिन्दी समाचार बुलेटिन किसी भारतीय द्वारा पढ़े जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो क्या यह पता लगा लिया गया है कि वह व्यक्ति कौन है?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाला रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) हिन्दी में समाचार पढ़ने वाला एक व्यक्ति भारतीय हो सकता है परन्तु इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत:** क्योंकि पेकिंग रेडियो के प्रसारण के अनुश्रवण का काम बुरा है क्योंकि अक्सर भारत में राजनीतिक महत्व के समाचार और अन्य बातें आकाशवाणी द्वारा प्रसारण से पूर्व पेकिंग रेडियो से सुने जाते हैं, क्या चीनी राष्ट्रजनों अथवा भारत में उन के विदेशी सम्बन्धियों अथवा उन के भारतीय एजेंटों के पास, यदि कोई गुप्त ट्रांसमीटर है, तो उन का पता लगाने के लिये क्या कोई प्रयत्न किये गये हैं ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** यह गृह-कार्य मंत्रालय को निर्दिष्ट करने का प्रस्ताव है हम पेकिंग रेडियो के प्रसारण का अनुश्रवण कर रहे हैं। सन्देश भारत से पेकिंग में किस प्रकार प्रसारित किय जाते हैं, यह भिन्न मामला है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या यह सच है कि भारत में राजनीतिक महत्व की बातों का प्रसारण पेकिंग रेडियो द्वारा आकाशवाणी की अपेक्षा पहले किया जाता है ?

†**डा० बे० गोपाला रेड्डी :** मुझे पता नहीं है। मैं कुछ माननीय सदस्यों से सुन रहा था कि ऐसा है, परन्तु मुझे कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या सरकार का ध्यान "टाइम" नामक एक विख्यात पत्रिका में प्रकाशित इस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि पेकिंग में रेडियो से हिन्दी में समाचार बुलेटिन का प्रसारण एक भारतीय महिला द्वारा किया जाता है, और यदि हां, तो क्या सरकार को इस बारे में जानकारी है कि क्या वहां भारतीय राष्ट्रजन हैं अथवा इस समय भारतीय युद्ध बन्दी चीनी सूचना और प्रसारण सेवा में हैं और यदि हां, तो क्या सरकार ने पेकिंग स्थित अपने दूतावास द्वारा उन का पता लगाने का प्रयत्न किया है ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** जी नहीं हमें कुछ पता नहीं है। पेकिंग से सामान्यत: एक पुरुष और एक महिला प्रसारित करते हैं, जैसा हम आकाशवाणी से करते हैं, वे अपने नाम घोषित नहीं करते ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** यदि हमारा दूतावास यह भी पता नहीं लगा सकता तो उस का क्या लाभ है । आप ही हमारी सहायता करें ।

†**अध्यक्ष महोदय :** आप यह महसूस करें कि वह केवल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तर्क नहीं कर सकते । वह प्रश्न पूछते हैं और जो कुछ मंत्री महोदय के पास उपलब्ध होता है, वह जानकारी दे देते हैं। जब कोई जानकारी मंत्री महोदय के पास नहीं है । तो मैं मंत्री महोदय पर दबाव कैसे डाल सकता हूं ?

†**श्री हरि विष्णु कामत :** प्रधान मंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं । वह कुछ बता सकते हैं ।

†**श्री हेम बरुआ:** मंत्री महोदय ने बताया है कि उन को पता नहीं है कि वह महिला भारतीय है या नहीं परन्तु मैं मंत्री महोदय का ध्यान समाचारपत्र में प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाता हूं कि वह कान्वेन्ट में शिक्षित एक भारतीय महिला है यदि हां, तो क्या सरकार इस बारे में जांच करेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय:** यह एक सुझाव है, कि सरकार इस बारे में जांच करे ।

डा० बे० गोपाल रेड्डी : हम इस की जांच करेंगे ।

श्री यशपाल सिंह : जिस तरह से हमारे हजारों स्टार्ड क्वेश्चन और शार्ट नोटिस क्वेश्चन रिजेक्ट कर दिये जाते हैं, अच्छा होता यह भी रिजेक्ट कर दिया जाता जब कि हम को इस की पूरी इत्तला नहीं दी जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय : अब आप सवाल कीजिये ।

श्री यशपाल सिंह : मेरा सवाल यह है कि जो महोदय या महोदया वहां से ब्राडकास्ट करते हैं या करती हैं, वह यहां से पासपोर्ट ले कर गये हैं हमारी गवर्नमेंट से या कि बगैर पासपोर्ट के ?

अध्यक्ष महोदय : अभी तो यह इस्टैब्लिश भी नहीं हुआ कि वह है कौन ?

†**श्री स० मौ० बनर्जी :** क्या मंत्री महोदय का ध्यान श्रीमती लक्ष्मी मेनन द्वारा, जब वह कोलम्बो में थीं, दिये गये वक्तव्य की ओर आकृष्ट किया गया है कि आकाशवाणी के सभी समाचार प्रसारण चीनियों द्वारा रोक दिये जाते हैं; यदि हां तो इस बारे में हमने क्या कदम उठाए हैं ताकि हमारे प्रसारण वहां समुचित रूप से सुने जा सकें ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह एक भिन्न बात है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या मैं जान सकता हूं कि सूचना मंत्री का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इन समाचार की ओर गया है जिन में गृह मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपने देश की जनता से अनुरोध किया है कि जहां तक सम्भव हो वह पेकिंग रेडियो न सुना करें? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सूचना मंत्रालय की ओर से कोई कदम उठाये जाने का विचार किया जा रहा है ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** हम ने इस को रोकने की संभावना की जांच की है परन्तु वे भी हमारे प्रसारण रोक देंगे ।

†**श्री रंगा :** उन्होंने रोक दिये हैं ।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** केवल हम ही ऐसा नहीं कर सकते । उन के पास शक्तिशाली ट्रांसमीटर भी हैं ।

†**श्री भानु प्रकाश सिंह :** मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि पीकिंग रेडियो के बारे में उन्हें व्यक्तिगत जानकारी नहीं है और यह बात उन्होंने अन्य माननीय सदस्यों से सुनी हैं । यह प्रश्न इस सभा में कई बार उठाया जा चुका है । सरकार इतने दिनों तक क्या करती रही ? सरकार ने इस बारे में जांच क्यों नहीं की ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी :** मैं यह बात स्वीकार नहीं करता ।

†**अध्यक्ष महोदय :** एक प्रश्न पूछा गया तथा कि क्या वे जांच करेंगे और उन्होंने बताया कि वे ऐसा करेंगे

†**श्री रामसेवक यादव :** गृह मंत्री महोदय ने यह कहा था कि पीकिंग रेडियो न हे सुना जाये, तो क्या सूचना मंत्रालय इस तरह की कोई व्यवस्था कर रहा है कि लोग पीकिंग रेडियो न सुन सकें ?

†**अध्यक्ष महोदय :** इस का जवाब तो उन्होंने दे दिया है ।

†**श्री हेम बरुआ :** इस बात को ध्यान में रखते हुए, कि पेकिंग रेडियो के प्रसारण निन्दनीय ही नहीं है अपितु वे अनभिज्ञ लोगों को पथभ्रष्ट करने वाले हैं, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार, अर्थात् सूचना और प्रसारण मंत्रालय गृह-कार्य मंत्रालय से यह देखने को कहेगा कि पेकिंग रेडियो सुनना कानूनी अपराध बना दिया जाये

†**अध्यक्ष महोदय :** यह एक सुझाव है । अगला प्रश्न ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** । औचित्य प्रश्न पर । आप ने नियम ४३ के अधीन प्रश्न का स्वीकार किया है । जब मंत्री महोदय के पास कोई जानकारी नहीं होती तो वह कहते हैं कि "मेरे पास जानकारी नहीं है"। वह यह नहीं कह सकते "भारतीय हो सकता है" । इस 'हो सकने का' का क्या अर्थ है । या तो वह यह कहें कि "मेरे पास जानकारी नहीं है" सरकार जानकारी एकत्र करेगी और उसे सभा पटल पर रख देगी । या वह भारतीय है या सरकार को जानकारी नहीं है ।"

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नों से एक ही बात निकल सकती थी कि समाचार पत्रों में कोई समाचार छापा है और वह मानते हैं कि वह भारतीय महिला है । संभवतः माननीय सदस्य आवाज से यह अनुभव लगा लेते हैं कि वह भारतीय हैं । सरकार उस आवाज से अथवा समाचार पत्रों में प्रगाशित समाचार से निश्चित रूप से यह नहीं कह सकती कि वह उस आयु की भारतीय महिला है ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** हम आगे जांच करेंगे और पता लगाने का प्रयत्न करेंगे चीन में किसी अनाउन्सर का नाम अथवा वंशावलि अथवा राष्ट्रीयता का पता लगाना आसान नहीं है । मैं नें सुमा नहीं है, परन्तु मुझे बताया गया है कि आवाज सुनने ऐसा लगता कि है कि उस व्यक्ति को हिन्दी अच्छी तरह आती है । उस से यह समझा जा सकता है कि वह भारतीय है अथवा संभव है चीनी महिला हो जो भारत में रही हो और उसने भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया हो ।

†**निर्माण, आवास और पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :** पाकिस्तान की महिला भी हो सकती है ।

†**श्री जवाहर लाल नेहरू :** ऐसा भी हो सकता है । जहां तक हम कर सकते हैं, हम पता लगाने का प्रयत्न करेंगे ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** यह सच है कि अनुपूरक प्रश्न में समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचार का उल्लेख किया गया है । मूल प्रश्न यह था, "क्या यह सच है कि पेकिंग रेडियो से प्रसारित किये जाने वाले हिन्दी समाचार बुलेटिन किसी भारतीय द्वारा पढ़ जाते हैं ।" इस में साचारपत्रों के समाचार का कोई उल्लेख नहीं था । अतः वह यह बतायें कि यह सच है या नहीं । "हो सकता है" कोई उत्तर नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय का कहना है कि वह भारतीय हो सकता है । उन्हें पक्का पता नहीं है । न वह इस से इन्कार कर सकते हैं न स्वीकार कर सकते हैं । क्या यह उत्तर नहीं है ? मुझ आश्चर्य है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** जैसा प्रधान मंत्रीजी ने कहा है, वह मूल उत्तर में यह कहते कि सरकार आवश्यक जानकारी प्राप्त करेगी । प्रधान मंत्री जी ने यह कहा है कि सरकार आगे जांच करेगी । इस के साथ-साथ क्या सरकार यह भी जांच करेगी कि वे प्रसारण-कार्य में युद्धबन्दियों को लगाते हैं या वहां अन्य भारतीय राष्ट्रजनों को लगाते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** जब जांच की जायेगी तो जो भी जानकारी उपलब्ध होगी वह एकत्र की जावेगी । अगला प्रश्न ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सैनिक अस्पतालों में जख्मी और घायल जवान

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १५. श्री गुलशन : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा पर चीनियों के साथ हाल में हुई मुठभेड़ों के फलस्वरूप कितने जख्मी और घायल जवान इस समय विभिन्न अस्पतालों में पड़े हैं ;

(ख) क्या उनके निकट सम्बन्धियों को सूचित कर दिया गया है या नहीं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) दिनांक ६ दिसम्बर, १९६२ तक ४३७ ।

(ख) तथा (ग). वर्तमान नियमों के अन्तर्गत सैनिक अस्पताल रिकर्ड आफिसों/यूनिटों के द्वारा निकट सम्बन्धियों को केवल उस दशा में सूचना देते हैं जब कि बीमार की हालत खराब या बहुत ही खराब होती है। इन मामलों में भी यही प्रक्रिया काम में लाई जाती है। अन्य मामलों में इन अस्पतालों में बीमारों को अपने सम्बन्धियों को पत्र लिखने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है और उन्हें इस की सुविधा भी दी जाती है ।

†श्री गुलशन : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भिन्न-भिन्न अस्पातालों में पड़े भारतीय सैनिक जो जख्मी और बीमार हैं उनमें से क्या कुछ ऐसे हैं जो भविष्य के लिए नाकारे हो गये हैं ? यदि हां, तो भारत सरकार ने उनके परिवार के जीवन-निर्वाह के लिए क्या निर्णय किया है ?

†श्री दा० रा० चव्हाण : अस्पताल में पड़े कुछ ४३७ व्यक्तियों में से केवल चार व्यक्ति ऐसे हैं जिनको 'खतरनाक हालत' में रखा गया है तथा १० व्यक्तियों की गम्भीर हालत बताई गई है ।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि जो व्यक्ति खतरनाक तथा गम्भीर हालत में हैं उनके तथा उनके परिवार के लिए क्या किया गया है ।

†श्री दा० रा० चव्हाण : सेना के वेतन तथा पेंशन नियमों के अनुसार व्यक्ति के हताहत होने के बाद उपदान अथवा अन्य भुगतान होता है ।

श्री गुलशन : मैं यह समझ नहीं सका, मुझे हिन्दी में समझा दिया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : जो आर्मी रूल्स हैं उनके मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। अस्पतालों में जो ४३७ पड़े हैं उनमें सिर्फ चार ऐसे हैं जिनकी हालत खतरनाक है और उन पर ध्यान दिया जा रहा है ।

†श्री बड़े : सैनिक के मरने से पहले भी प्रतिकर आदि दिया जा सकता है तथा उस सम्बन्ध में नियम हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : नियम हैं तो नियमों का पालन किया जायेगा ।

†श्री बड़े : माननीय उपमन्त्री नियमों को भी नहीं जानते हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री बड़े : अन्यथा वह यह नहीं कहते कि प्रतिकर आदि हताहत होने के बाद दिया जाता है।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई है। वह ऐसी जानकारी देना चाहते है जो वह जानते हैं। परन्तु मैं समझता हूं कि वह जानकारी किसी अन्य समय में लाभदायक होगी।

श्री बूटा सिंह : मैंने मन्त्रीजी से सुना वह यह है कि जब कोई कैजुएल्टी हो जाती है तो उसके नजदीक वालों को बता दिया जाता है और उनको पेमेंट कर दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर ने तो यह नहीं कहा। कुछ उन्होंने कहा और कुछ दूसरों ने कहा उसको मेम्बर साहब मिला रहे हैं।

श्री बूटा सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि जो परमानेंटली डिसेबिल हो चुके हैं उनके नजदीकियों के लिए सरकार क्या कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : जो रूल है उनका मेम्बर साहब मुताला कर सकते हैं। उससे पता चल जाएगा कि जब आदमी परमानेंटली डिसेबिल हो जाता है तो क्या किया जाता है।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या ऐसे जवानों के सम्बन्ध में जो अस्पताल में हैं या जिनकी खतरनाक अथवा गम्भीर हालत है, के वेतनों तथा भत्तों में से अस्पताल में रहने की अवधि के लिए अस्पताल के भार काट लिये जायेंगे ?

†अध्यक्ष महोदय : यह सब नियमों में है। इसलिए इस पर चर्चा नहीं की जा सकती है।

†श्री स० मो० बनर्जी : नियमों के अनुसार उनको काट लिया जाना चाहिए।

श्री बेरवा (कोटा) : चीनियों ने सीज फायर के बाद जो हमारे जवानों पर गोलियां चलायीं उनमें हमारे कितने जवान घायल हुए और कितने मारे गए ?

अध्यक्ष महोदय : यह बता दिया गया है।

†श्री बड़े : क्या खतरनाक तथा गम्भीर हालत वाले व्यक्तियों को कोई पेंशन अथवा उपदान अथवा कोई भत्ता दिया जायेगा ?

†अध्यक्ष महोदय : हम नियमों पर चर्चा नहीं कर सकते हैं। यदि वहां पर यह उपबन्ध दिए हुए है तो माननीय सदस्य उनको देख सकते हैं।

श्री यशपाल सिंह: क्या सरकार बतला सकेगी कि हमारे ब्रिगेडियर होशियार सिंह की जो मृत्यु हुई है वह बर्फ में दब कर हुई है या चीनियों के गोले से ?

†अध्यक्ष महोदय : यह मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित नहीं हैं।

†श्री हरि विष्णु कामत : क्या सरकार को नेफा तथा लद्दाख के हताहतों की ठीक संख्या अब मालूम हो गई है।

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणु शक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नहरू) : ठीक संख्या बताना मेरे लिए बड़ी कठिन है। सम्भवतया अनुमानित संख्या बताई जा सकती है। यदि मुझे इस प्रश्न का आभास हुआ होता तो मैं इसका पता लगाता। परन्तु इस समय उसका बताना असम्भव है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पहले प्रश्न के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सेना नियम हैं और सामान्यतः वह बहुत उदार हैं। परन्तु सभा जानती है कि सेना नियमों के अतिरिक्त हमने पर्याप्त राशि इकट्ठा कर ली है क्या जनता ने भी उदारता से सैनिकों के लिए तथा उनके परिवारों के लिए दान दिया है जिससे इस प्रकार के मामलों में सहायता दी जा सके। सैनिक की मृत्यु हो जाने से पहले ही उनके परिवार की देखभाल करने का प्रयत्न किया जायेगा।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो चार सौ से अधिक जख्मी हमारे अस्पतालों में हैं उनमें फ्रास्ट बाइट के कितने केसेज़ हैं और वास्तविक जख्मी कितने हैं ?

†श्री जवाहरलाल नेहरू : इसका जवाब मैंने पहले दिया था। उस वक्त कहा था कि शायद ६ आदमी फ्रास्ट बाइट के थे। बीस केसेज़ थे और उनमें फ्रास्ट बाइट के पूरे तौर से आधे के करीब थे यानी दस या ११। ये ज्यादातर वे लोग थे जो सेला से वापस आए थे। ये लोग जंगलों में होकर बहुत रोज में वापस आए थे। उनके पैर सूज गए थे। उनको खाना ठीक से नहीं मिला था। ये लोग बीमार थे। इनमें कुछ फ्रास्ट बाइट के केस थे और कुछ के पैर और बातों से सूज गए थे।

अभी जो मैंने आपसे कहा वह मैंने अपना पुराना जवाब दुहराया था और वह एक खास गिरोह के निस्बत मैंने बताया था। वह गिरोह बीस आदमियों का था।

इस सवाल के जवाब में जो बतलाया गया कि हमारे अस्पतालों में ४३७ आदमी पड़े हैं उनमें से ३६१ फ्रास्ट बाइट के केसेज़ हैं और और भी बीमारियों के ८६२ केसेज़ हैं। ये जो लोग फ्रास्ट बाइट के केसेज़ हैं इनको यह तकलीफ वापस आते वक्त हुई थी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

†संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : मैं प्रश्नों के लिखित उत्तर सभा पटल पर रखता हूं।

पेकिंग और ल्हासा से भारतीय राजनयीक प्राधिकारियों के परिवारों का वापस आना

†८५८. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री हेम बरुआ :
श्री यशपाल सिंह :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री बड़े :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेकिंग, ल्हासा तथा चीन और तिब्बत के अन्य स्थानों से भारतीय महिलाओं तथा बच्चों को निकाला जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो यह मामला किस क्रम पर है ?

†मूल अंग्रेजी में

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : (क) जी हां ।

(ख) चीन में हमारे दूतावासों के कर्मचारियों के परिवारों के सदस्यों को क्रमवार वापस बुलाया जा रहा है । एक भारतीय व्यापारी के अतिरिक्त जो व्यक्ति गत कारणों से रुके हुए हैं केवल हमारी प्रभारी राजदूत का परिवार पेकिंग में है ।

महाराष्ट्र में कपास का भाव

†८५९. श्री दे० शि० पाटिल : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, १९६२ के दूसरे पखवारे से महाराष्ट्र राज्य में कपास के भाव २० रुपये प्रति क्विटल गिर गये हैं ;

(ख) क्या टैक्सटाइल कमिश्नर ने कपास को एक जिले से दूसरे जिले में ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि कपास के सर्वेक्षण का विदर्भ के जिलों में एक ही सेन्टर रखा गया है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) कपास का १९७-३ विरनार नामक किस्म के भावों के बारे में बताया गया था कि उसके भाव केवल ५ रु० या ६ रु० प्रति क्विटल गिरे है ।

(ख) कुछ समय के लिये प्रतिबन्ध लगा दिया गया था, जो अब हटा लिया गया गया है ।

(ग) जी, नहीं । कपास के दो सर्वेक्षण केन्द्र हैं, जिनमें से एक आकोला में और दूसरा अमरावती में है ।

औद्योगिक सन्धि संकल्प की क्रियान्विति

†८६०. श्री स० मो० बनर्जी : क्या श्रम और रोजगार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपातकाल के कारण औद्योगिक सन्धि संकल्प को मालिकों तथा मजदूरों ने स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसको सभी उद्योगों में लागू कर दिया है ?

†श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां । सभी केन्द्रीय कर्मचारियों तथा मजदूर संगठनों ने ।

(ख) केन्द्रीय मालिक तथा मजदूर संगठनों तथा केन्द्रीय और राज्य क्रियान्विति व्यवस्था ने परामर्श किया है कि संकल्प की क्रियान्वित का पता लगाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केरल कृषिसंबंध अधिनियम

†८६१. श्री अ० व० राघवन :
श्री पोट्टेकाट्ट :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री प० कुन्हन :

क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि केरल उच्च न्यायालय की पूरी बेंच ने हाल में ही दो निर्णय दिए हैं कि केरल कृषि सम्बन्ध अधिनियम (१९६१ का संख्या ४) केरल के मालाबार तथा त्रावन-कोर क्षेत्रों की कुछ प्रकार की बड़ी काश्तकारियों पर लागू नहीं है ?

(ख) लम्बित बेदखली के मुकदमों में यहां की सुरक्षा की व्यवस्था के लिए सरकार का क्या करने का विचार है ; और

(ग) योजना आयोग द्वारा आयोजित भूमि सुधार की प्रगति में उन निर्णयों का क्या प्रभाव पड़ा है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)**: (क) से (ग). केरल उच्च न्यायालय ने अपने नवम्बर ५ तथा १३, १९६२ के निर्णयों में बताया है कि मलाबार में रैयत बाड़ी तथा पण्डरवाक, विसार्थ, श्रीचंन्दर वकाये तथा त्रावनकोर क्षेत्र के इसी प्रकार के पट्टों पर यह लागू नहीं होगा ।

काश्तकारों को अस्थाई सुरक्षा देने के लिए कार्यवाही करने पर राज्य सरकार विचार कर रही है ।

भारत सरकार भूमि सुधार किसानों की सुरक्षा के लिए संविधान के संशोधन करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ?

युद्ध जोखिम के लिये बीमा योजना

†८६२. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय संघ के सीमा राज्यों तथा प्रदेशों में युद्ध जोखिम के लिए कोई बीमा योजना लागू करने पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देशाई)** : (क) जी हां ।

(क) आपात काल जोखिम (माल) बीमा विधेयक, १९६२ तथा आपातकाल जोखिम (कारखाना) बीमा विधेयक, १९६२ जिनमें आन्तरिक जहाजों तथा कुछ अन्य स्थापनाओं को दुश्मन के कारण हुई हानि के लिए तथा माल और कारखाने के लिए बीमा योजना की व्यवस्था है, लोकसभा ने ७ दिसम्बर, १९६२ को पारित कर दिए थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

एन० सी० डी० सी० कोयला खानों में वैगनों का कम भरा जाना

†८६३. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या खान और इंधन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एन० सी० डी० सी० कोयला खानों में वैगनों को कम भरने के बारे में कोई शिकायत मिली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी शिकायतों की जांच की गई है ;

(ग) जांच के क्या परिणाम निकले हैं ; और

(घ) जानबूझ कर कम भार लादने को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खान और इंधन मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी हां। इस सम्बन्ध में कुछ शिकायत मिली थीं।

(ख) से (घ). जांच की गई है। एन० सी० डी० सी० की कुछ कोयला खानों के वैगनों को तोलने वाले १०० टन के वे-ब्रिज नहीं लगे हैं। वैगनों में चिह्न लगा कर इनमें लदान किया जाता है। इसी प्रकार के कुछ वैगनों में कम लदान की शिकायत मिली है। परन्तु इनको जान बूझ कर कम लदान करना नहीं कहा जा सकता है। जिससे यह मामला पुनः न हो इसलिए कोयला खानों में 'वे-ब्रिज' लगाये जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में विशेष आदेश दे दिए गये हैं कि जब तक वे-ब्रिज नहीं लगते तब तक वैगनों में लगे निशानों के अनुसार ही उनमें लदान किया जाये।

सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृति आयु

†८६४. { **श्री स० मो० बनर्जी** :
श्री भक्त दर्शन :

क्या गृह-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सेवा निवृत्ति की आयु बढ़ा कर ५५ से ५८ वर्ष करने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय ले लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकारी आदेश की एक प्रति सभा पटल पर रख दी जायेगी ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). निर्णय के सरकारी आदेश की एक प्रति सभा पटल पर रख दी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६८**]।

आसाम में चाय भाण्डार का इकट्ठा होना

†८६५. { **श्री ब० कु० दास** :
श्री महेश्वर नायक :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवहन सुविधाओं की कमी के लिए आसाम में चाय बागानों में बहुत बड़ा भांडार इकट्ठा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो भांडार को बिना विलम्ब हटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). संयुक्त स्टीमर कम्पनियों के कर्मचारियों की हड़ताल के कारण भांडार इकट्ठा हो गया था और रेलवे वैगनों के अतिरिक्त संभरण से इसको उठाया जा रहा है तथा लदान बागान मजदूर कर रहे हैं तथा सड़क परिवहन सेवा से भी कलकत्ता को चाय लाई जा रही है। इन कार्यों के फलस्वरूप कलकत्ते में पर्याप्त चाय आ रही है। हड़ताल समाप्त हो जाने के बाद और सुधार हो जायेगा।

मद्य-निषेध

८६६. श्री भक्त दर्शन : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस आशय की सूचना मिली है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस वर्ष १ दिसम्बर से अपने राज्य के उन ग्यारह जिलों में पूर्ण मद्य-निषेध को समाप्त करने का निश्चय किया है जहां वह पिछले कई वर्षों से लागू था ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में भारत सरकार की सहमति तथा स्वीकृति प्राप्त कर ली है ; और

(ग) क्या इस मामले में सम्पूर्ण देश को ध्यान में रखते हुए बुनियादी नीति तय कर ली गई है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दातार): (क) से (ग). नहीं। इस बारे में उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा गया है और सूचना यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मद्य-निषेध

†८६७. श्री हरि विष्णु कामत : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने राज्यों से मद्य-निषेध के विस्तार के बारे में कुछ महीने पहले किए गए सरकार के सुझाव के बारे में अपनी प्रतिक्रिया अथवा प्रस्ताव भेजे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो राज्यवार संक्षेप में वह प्रस्ताव क्या हैं ?

†गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दातार) : (क) जी हां।

(ख) राज्यवार संक्षेप में प्रस्ताव संबद्ध हैं। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६६]

आसाम से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का निष्कासन

†८६८. श्री हेम बरुआ : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ दिनों में आसाम से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के परिवारों को हटाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसा सरकार के आदेशों के अधीन किया गया है ; और यदि हां, तो आसाम से परिवारों को हटाने के लिए कर्मचारियों को क्या सुविधायें दी गई हैं ?

†गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री दातार): (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार के असैनिक कर्मचारियों के परिवारों को हटाने के लिए कोई आदेश नहीं दिए गए हैं। कुछ कर्मचारियों ने स्वयं अपने परिवारों को भेजने का निर्णय कर लिया है तथा जहां तक संभव था उतने उनकी यात्रा के प्रबन्ध कर दिए गए हैं।

राष्ट्रीय रक्षा कोष

८६९. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्हें कुछ ऐसे समाचार भी मिले हैं कि राष्ट्रीय रक्षा कोष का धन सीधे न आकर बहुत से हाथों में होकर आ रहा है और इससे जहां धन के आने में देर हो रही है वहां कभी-कभी पूरा धन भी नहीं पहुंच पाता ;

(ख) सरकार ने अब तक जो व्यवस्था इस सम्बन्ध में की है उसमें क्या कुछ परिवर्तन करने का विचार है ; और

(ग) क्या राज्य सरकारों को भी इस प्रकार के निदेश भेजे गये हैं कि वे इसमें और सतर्कता बरतें ?

वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) राष्ट्रीय रक्षा कोष (नेशनल डिफेंस फण्ड) के लिए इकट्ठा किये गये धन को जमा करने के सम्बन्ध में किसी तरह की देर होने या उसमें कमी होने की कोई शिकायत नहीं मिली है ।

(ख) और (ग). (क) में दिये गये उत्तर को देखते हुए ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

कोलम्बो जाने वाला अफ्रेशियाई एकता संघ का प्रतिनिधि मण्डल

८७०. श्री बड़े : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफ्रेशियाई एकता संघ की भारतीय शाखा की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल कोलम्बो जाने वाला है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके लिये सरकार ने कितनी विदेशी मुद्रा देना मंजूर किया है ?

वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां ।

(ख) कुछ नहीं ।

गैर-सरकारी व्यक्तियों द्वारा लंका का दौरा

†८७१. श्री हरि विष्णु कामत :
श्री हेम बरुआ :
श्री बागड़ी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ गैर-सरकारी व्यक्तियों को लंका जाने की अनुमति दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो कब ;

(ग) उनके नाम क्या हैं ;

(घ) उनके दौरे का प्रयोजन क्या है ; और

(ङ) उनको कितनी विदेशी मुद्रा दी गई है ?

†वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) नियमों के अधीन मद्रास अथवा तिरुचिरापल्लि से कोलम्बो जाने वाले यात्रियों को रिजर्व बैंक की पूर्वानुमति नहीं लेनी पड़ती है । इसलिए अपेक्षित जानकारी बताना संभव नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं हैं ।

(ङ) संभवतया तटस्थ राष्ट्रों के अफ्रेशियाई देशों के सम्मेलन के सम्बन्ध में जाने वाले व्यक्तियों को दी गई विदेशी मुद्रा की जानकारी मांगी गई है । हमने अपने साधनों में से कोई विदेशी मुद्रा नहीं दी केवल पी०टी०आई० के एक प्रतिनिधि को १००० रुपये दिए गए हैं । विदेशी पत्रिकाओं के कुछ सम्वाद-दाताओं को तथ. कोलम्बो जाने वाले कुछ विदेशी राजदूतों को दी गई विदेशी मुद्रा इसमें शामिल नहीं है क्योंकि इनको आन्तरिक साधनों से पूरा किया जायेगा और हमारे साधनों पर भार नहीं पड़ेगा ।

एमरजेंसी कमीशन के लिये आयु सीमा

†८७२. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार जानती है कि जनता में इस प्रकार की मांग बढ़ती जा रही है कि सेना में एमरजेंसी कमीशन के लिए आयु को ३५ वर्ष से बढ़ा कर ४० वर्ष कर दिया जाये ;

(ख) क्या वर्तमान आपातकाल के आधार पर तथा सेना की आवश्यकताओं के कारण तथा जनता की मांग के कारण सरकार का विचार आयु ४० वर्ष बढ़ा देने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मन्त्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण)** : (क) जी नहीं ।

(ख) इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ग) इस समय ३५ वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई है जिसमें सेना अधिकारियों के लिए सामान्य आयु में पर्याप्त छूट दी गई है । सेना अधिकारी को जो कर्तव्य करने पड़ते हैं वह ऐसे हैं कि आयु सीमा की और छूट देना लोक हित में नहीं होगा ।

लोक-सभा के आगामी सत्र के बारे में

†**श्री रंगा** (चित्तूर): अब संसदीय-कार्य मंत्री बोल रहे हैं, इसलिए क्या मैं आपसे यह सुनिश्चित करने के लिए प्रार्थना कर सकता हूं कि सरकार का हमारे इस सुझाव के बारे में क्या निर्णय है कि सभा सत्रावसान न करके उसे जनवरी में होने के लिए स्थगित कर दिया जाये और यह भी मालूम कर लिया जाये कि विरोधी दल के नेता और आगे सीटों पर अन्य व्यक्तियों को इस बीच यथासंभव बार-बार परामर्श के लिए बुलाया जाये ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद): मैं पुन: अपना सुझाव दोहराता हूं कि सत्रों के बीच के समय में सरकार को संसद्-कार्यालय को एक साप्ताहिक बुलेटिन भेजना चाहिये जिसमें युद्ध तथा युद्धोतरसम्बन्धी समाचार हों । इस बुलेटिन को सचिवालय सारे सदस्यों में परिचालित कर देगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : स्वतन्त्र दल के नेता को मैं याद दिला दूं कि मैंने यह कहा था कि कार्य के दिनों में जब संसदीय-कार्य मंत्री अगले सप्ताह की विषय-सूची बतायें उस समय कार्य सम्बन्धी प्रत्येक बात पर विचार किया जा सकता है । यहां, वह केवल प्रश्नों के लिखित उत्तर पटल पर रख रहे थे । परन्तु प्रो० रंगा ने उस समय का यह पूछने में प्रयोग किया कि क्या संसद का सत्रावसान होगा या नहीं और फिर उसकी बैठक कब होगी ।

†**संसद्-कार्य मन्त्री (श्री सत्यनारायण सिंह)**: सरकार ने आपके परामर्श के साथ यह निश्चय किया है कि सभा की बैठक स्थगित होगी सत्रावसान नहीं होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : साप्ताहिक बुलेटिन के बारे में क्या रहा ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री तथा अणुशक्ति मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : मुझे यह प्रस्ताव पहली बार मालूम हो रहा है। मैं नहीं समझता कि ऐसे साप्ताहिक बुलेटिनों में दैनिक समाचारपत्रों से अधिक और कुछ होगा क्योंकि गुप्त बात प्रेस को नहीं दी जायेगी और संभव है कि साप्ताहिक बुलेटिन में भी न दी जाये। सामान्यतया बुलेटिन में दैनिक समाचारपत्रों की ही खबरें होंगी ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : क्या मैं संसदीय-कार्य मंत्री से एक बात स्पष्ट कर सकता हूं ? उन्होंने कहा था कि सभा का सत्रावसान न हो कर स्थगन होगा। क्या इसका अर्थ यह है कि अन्तर्कालीन सत्र बुलाया जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा के सत्रावसान न हो कर स्थगित होने पर, अध्यक्ष इस काल में जी चाहे जब बैठक बुला सकता है। अतः सरकार से पूछने का प्रश्न ही नहीं उठता कि यह बुलाया जायेगा या नहीं । श्री प्रकाशवीर शास्त्री ।

मैं अन्य सदस्य को पुकार चुका हूं और उनके खड़े होने पर वह खड़े होते हैं। मुझ पर यही आरोप लगाया जाता है "फ्रंट को दीवारें खड़ी हो जाती हैं और उनको देखने को नहीं मिलता ।"

†**श्री हेम बरुआ** : मुझे खेद है, मैंने सुना नहीं था ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं संसदीय-कार्य मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि समाचारपत्रों में आज कुछ एसा समाचार भी प्रकाशित हुआ है कि लोक-सभा का अगला अधिवेशन २१ जनवरी के लगभग होने की संभावना है . . . .

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा तो है कि हाउस एडजोर्न करते वक्त मैं एनाउंसमेंट करूंगा कि फलां तारीख को लोक-सभा बैठेगी, आप उनसे क्या जानना चाहते हैं ?

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : स्थिति की वास्तविकता क्या है ?

अध्यक्ष महोदय: स्थिति की वास्तविकता वह क्या बतलायेंगे? जब मैं एडजोर्न करूंगा तो किसी तारीख के लिये ही करूंगा, इस बात को पूछने की क्या जरूरत है ?

†**श्री रंगा** : परसों के दैनिक 'हिन्दू' में सम्पादकीय लेख में कहा गया है कि किस प्रकार कांग्रेस संसत्सदस्यों को युद्ध-क्षेत्र में जाने का अवसर दिया गया है जबकि विरोधी दल के सदस्यों को, यहां तक कि उनके नेताओं को यह सुझाव देने पर यह अवसर नहीं दिया गया है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस मामले पर विचार करे और इस अन्तर्काल में हमें युद्ध-क्षेत्र में जाने का अवसर दे ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य किस बात का उल्लेख कर रहे हैं। क्या यह कांग्रेस के कुछ सदस्यों को दी गई सुविधाओं का उल्लेख कर रहे हैं। वे स्वयं गये थे। किसी भी सदस्य को आसाम जाने से रोकने के लिए कोई बात नहीं है। संभव है कि किसी अमुक दिन आवास पाने में कठिनाई हो, परन्तु वे अगले दिन जा सकते हैं। प्रश्न यह है कि आपके आसाम पहुंचने पर यथाकथित युद्धस्थल पर जाने के लिए क्या सुविधा दी जाये। यह तो पूर्णतया सेना का मामला है । मुझे अपने सिवा और किसी भी कांग्रेसी के बारे में नहीं मालूम जो युद्धस्थल पर गया हो.....

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री रंगा : मेरा अभिप्राय उस स्थान से नहीं था जहां वे लड़ रहे हैं परन्तु सारे क्षेत्र से अभिप्राय था।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : उन्होंने 'युद्धस्थल' शब्द प्रयोग किया था, इसी कारण मैं यह कह रहा हूं। अन्यथा, मैं यह नहीं कहता। वह पूर्णतया सेना का मामला है। वह कांग्रेस या गैर-कांग्रेस किसी को वहां नहीं जाने देते। वह मुझे इस कारण वहां नहीं ले गये कि मैं कांग्रेसी हूँ, अपितु इसलिए ले गये कि इस देश में मेरा विशिष्ट स्थान है। वहां के जनरल मुझे ले गये थे। अन्य कोई नहीं गया था। यदि माननीय सदस्य तेजपुर जाना चाहें तो कोई रुकावट नहीं है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

कपास के मूल्यों में कथित गिरावट और कपास उत्पादन पर उसका प्रभाव

†अध्यक्ष महोदय : एक ध्यान दिलाने की सूचना है। परन्तु हम मूल्य स्थिति पर विचार करने जा रहे हैं और मैं माननीय सदस्य को अवसर दूंगा। यदि वह इसे कोई पृथक बात समझे, तो वह इसे पढ़ सकते हैं... (अन्तर्बाधा)

†श्री दे० शि० पाटिल (यवतमाल) : श्रीमान्, मैं नियम १९७ के अन्तर्गत खाद्य तथा कृषि मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोकमहत्व के निम्न मामले की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह उस पर वक्तव्य दें :

"कपास के मूल्य में कथित गिरावट तथा कपास के उत्पादन पर उसका प्रभाव।"

†खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह): पिछले एक मास से कपास के वायदा बाजार में निरन्तर गिरावट देखने में आ रही है। नवम्बर, १९६२ के अन्त में मार्च, १९६३ के ठेके मूल्य कथन तीनसौ किलोग्राम के लिए ६८७.५० रु० थे जबकि अक्टूबर के अन्त में ये दाम ७४५.२५ रु० थी। दिसम्बर ६ को वायदे सौदों का मूल्य ६७७.५० रु० बताया गया। फिर भी, यह कहा जा सकता है कि हालांकि पिछले दिनों में मूल्यों में गिरावट होती रही है, फिर भी वे पिछले वर्ष के प्रचलित मूल्यों से अधिक हैं जैसा कि निम्नतालिका से विदित होता है :—

	(प्रति ३०० किलोग्राम — रु०)	
	१९६१	१९६२
सितम्बर	६२८.७५	७३९.७५
अक्टूबर	६३६.२५	७४५.२५
नवम्बर	६५६.२५	६८७.५०
दिसम्बर	६६८.००	६७७.५०*

* ६ दिसम्बर, १९६२ के मूल्य कथन।

नोट:—वर्ष १९६१ के मूल्य कथन मार्च १९६२ के संभरण के हैं और १९६२ के मूल्य कथन मार्च १९६३ के संभरण के हैं।

†मूल अंग्रेजी में

[डा० राम सुभग सिंह]

अहमदाबाद और मद्रास के बाजारों में सितम्बर, अक्टूबर और नवम्बर तीन मासों में प्रति १०० किलोग्राम के स्थानीय मूल्य नीचे दिये गये हैं। यह विदित होगा कि स्थानीय मूल्यों में गिरावट इतनी अधिक नहीं है जितनी कि वायदा सौदों में है।

मास	अहमदाबाद कल्याण		मद्रास कम्बोडिया	
	१९६१	१९६२	१९६१	१९६२
सितम्बर	२१०	२५०	२५३	२९५
अक्टूबर	२१३	२४८	२५३	२९५
नवम्बर	२१३	२३९	२५३	२८१

इस संबंध में कपड़ा आयुक्त कपास के निर्धारित उच्चतम मूल्य तक ही मूल्य बनाये रखने के लिए कुछ कार्यवाही कर रहा है और मूल्य पर निरन्तर निगरानी रख रहे हैं। इस संबंध में कुछ माननीय सदस्य जो कपास उगाने वाले राज्य के हैं, खाद्य तथा कृषि मंत्री से और कृषी मंत्री से ८ दिसम्बर, १९६२ को मिले थे और कपास के मूल्य गिरने से रोकने के लिए अनेक उपाय सुझाये थे। वे सुझाव वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग को उन पर उपयुक्त कार्य करने के लिए भेज दिये गये हैं।

इन सुझावों पर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने निम्न कार्यवाही की है :—

(१) १ दिसम्बर से ३१ मार्च, १९६३ तक के काल में बाजार में आने वाली फसल को लेने के लिए कपड़ा मिलों को इस अवधि के लिए नये कोटे दे दिये गये हैं;

(२) कपास के वहन पर से सारे प्रतिबन्ध हटा लिये गये हैं; और

(३) सर्वेक्षण करने के लिए केन्द्रों की संख्या बढ़ा दी गई है।

यह कहा जा सकता है कि केवल कपास के ही वर्तमान तथा भावी मूल्यों में गिरावट नहीं हुई है। यह कमी अनेक कृषि पण्य वस्तुओं में हुई है, जैसे खाद्यान्न, तिल्हन, आदि में, और यह कमी काफी अच्छी फसल होने और कुछ अन्य कारणों से हुई है।

श्री दे० शि० पाटिल : जब जरीला और कमोडिया कपास के भाव सीलिंग पर नहीं पहुंचे थे, तो टैक्स्टाइल कमिश्नर ने उसके निर्यात और सरवे पर रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाया ?

डा० राम सुभग सिंह : ८ तारीख को संसद्सदस्यों की जो मीटिंग हुई थी, उसके बाद खाद्य और कृषि मंत्री महोदय ने कामर्स मिनिस्ट्री को लिखा और फिर वे सब प्रतिबन्ध हटा दिये गए।

†**श्री मा० ल० जाधव** (मालेगांव) : क्या सरकार कपास का निम्नतम मूल्य बढ़ायेगी?

†**डा० राम सुभग सिंह** : संसत्सदस्यों ने ८ दिसम्बर को एक यह भी सुझाव दिया था। हमने ये सब सुझाव वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री को भेज दिये थे और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

†मूल अंग्रेजी में

मंत्री ने हमें लिखा था कि वह उन्हें स्वीकार करने को तैयार हैं परन्तु इस पर वित्त तथा योजना आयोग मंत्री से परामर्श करना होगा ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

भारतीय टेलीग्राफ (बारहवां संशोधन) नियम

†**परिवहन तथा संचार मन्त्री (श्री जगजीवन राम)** : मैं भारतीय टेलीग्राफ अधिनिय, १८८५ की धारा ७ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत दिनांक २४ नवम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५६८ में प्रकाशित भारतीय टेलीग्राफ (बारहवां संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ६४९/६२]

वर्ष १९६१-६२ के लिये हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन और भारत के फर्टिलाइजर कारपोरेशन के वार्षिक प्रतिवेदन और उपरोक्त निगमों के कार्य पर सरकार की टिप्पणी

†**इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति पटल पर रखता हूं:

(एक) (क) कम्पनीज अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९क की उपधारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६१-६२ के लिए हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची की वार्षिक रिपोर्ट लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उक्त कारपोरेशन के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ६४४/६२]

(दो) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६१-६२ के लिये भारत के फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उक्त कारपोरेशन के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ६४६/६२]

चाय (दूसरा संशोधन) नियम

†**वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं चाय अधिनियम, १९५३ की धारा ४९ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक २४ नवम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५५८ में प्रकाशित चाय (दूसरा संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई : देखिये संख्या एल० टी० ६५०/६२]

वर्ष १९६०-६१ के लिये खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के बारे में वक्तव्य

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं श्री कानूनगो की ओर से खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की वर्ष १९६०-६१ का वार्षिक प्रतिवेदन जो २३ नवम्बर, १९६२ का सभा पटल पर रखा

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मनुभाई शाह]

गया था के अध्याय दो के पैरा २.११ में निर्दिष्ट विवरण—१ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ५९५/६२ और एल० टी० ६५१/६२]

भारतीय विमान (संशोधन) नियम

†**परिवहन तथा संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मुहीउद्दीन)** : मैं भारतीय विमान अधिनियम, १९३४ की धारा १४क के अन्तर्गत दिनांक २४ नवम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५६७ में प्रकाशित भारतीय विमान (संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ६५२/६२]

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ४६वें अधिवेशन सम्बन्धी प्रतिवेदन

†**श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री र० कि० मालवीय)** : मैं श्री चे० रा० पट्टाभिरामन की ओर से जून, १९६२ में जनेवा में हुये अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ४६वें अधिवेशन में भाग लेने वाले भारत सरकार के प्रतिनिधि-मण्डल की रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ६४८/६२]

न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

†**श्री र० कि० मालवीय** : मैं श्री चे० रा० पट्टाभिरामन की ओर से न्यूनतम मजूरी अधिनियम, १९४८ की धारा ३८ के अन्तर्गत दिनांक २४ नवम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३५५२ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ६५३/६२]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

कार्यवाही सारांश

†**श्री कृष्णमूर्ति राव** (शिमोगा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की तीसरे अधिवेशन में हुई (नवीं से बारहवीं) बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

याचिका समिति

कार्यवाही सारांश

†**श्री तिरुमल राव** (काकिनाडा) : मैं याचिका समिति के तीसरे अधिवेशन में हुई दूसरी बैठक का कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

†मूल अंग्रेजी में

राज्य सभा से सन्देश

†**सचिव** : मैं राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देता हूं :

(एक) कि राज्य सभा ८ दिसम्बर, १९६२ की अपनी बैठक में भारत की प्रतिरक्षा विधेयक, १९६२ से, जो लोक-सभा द्वारा २८ नवम्बर, १९६२ को पास किया गया था, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(दो) कि राज्य सभा को लोक-सभा द्वारा ५ दिसम्बर, १९६२ को पास किये गये करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १९६२ के बारे में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

सभा का कार्य

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता—दक्षिण-पश्चिम): आज की विषय-सूची में अन्त में मूल्यों पर चर्चा शामिल है जिसके लिये तीन घन्टे नियत किये गये हैं। मुझे शक है कि हम इसे ले सकेंगे या नहीं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : हम देर तक बैठ सकते हैं ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त**: जो विधेयक प्रस्ताव से पहिले प्रस्तुत किये गये हैं, वे शायद हटाये जा सकते हैं । मूल्यो के प्रश्न पर विचार करना है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अभी कहा गया है कि पिछला प्रस्ताव तीन घंटों का होने के कारण आज नहीं आयेगा, और हिन्दी साहित्य सम्मेलन (संशोधन) विधेयक लाया गया है ।

†**संसद्-कार्य मन्त्री (श्री सत्यनारायण सिंह)**: यह सरल विधेयक है और इसमें आधे घंटे से अधिक नहीं लगेगा । यह सरल संशोधन है । २ घंटों का आवंटन गलत धारणा में किया गया था । पिछले सत्र में पारित विधेयक में कुछ त्रुटि है और वे उसे उच्च न्यायालय में ले गये हैं । इस प्रश्न की कोई रिटपिटीशन है । अतः वे इसे पूरा करना चाहते हैं । इस में कोई विवाद नहीं । मैं दो घंटे आवंटित करने के लिये उत्तरदायी नहीं, यदि आप चाहें तो इसे हटाया जा सकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कार्य आवंटन ८ घंटे के लिये है और हमारे पास केवल ५ घंटे हैं। क्या सरकार हिन्दी साहित्य सम्मेलन (संशोधन) विधेयक को हटाने को तैयार है ।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी): इस सरल विधेयक को हटा कर मूल्य स्तर जैसे किसी अधिक गम्भीर मामले की चर्चा की जाये ।

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : मा० सदस्य देखेंगे कि यह बड़ा सरल संशोधन है । कार्य सलाहकार समिति ने दो घंटे का आग्रह किया था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि सभा माने तो मा० मंत्री विधेयक के आवंटन को २ घंटे से $^1/_2$ घंटा तक घटाने के लिये औपचारिक प्रस्ताव कर सकते हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : हम देर तक बैठ सकते हैं ।

†**श्री सत्यनारायण सिंह** : मैं आवंटन का समय २ घंटे $^1/_2$ से घंटा तक घटाने का प्रस्ताव करता हूं ।

---

†मल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : समय १ घंटा कर दिया जाये। या इसे जनवरी वाले सत्र में लाया जायें।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या मूल्य स्तर सम्बन्धी श्री इन्द्रजीत गुप्त के प्रस्ताव के पश्चात् हिन्दी साहित्य सम्मेलन (संशोधन) विधेयक को लिया जा सकता है ?

†**श्री सत्यनारायण सिह** : जी हां।

संविधान (पन्द्रहवां सशोधन) विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा संविधान (पन्द्रहवां) संशोधन विधेयक को संयुक्त समिति को सौपने के सम्बन्ध में विधि मंत्री के प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** (रायगंज) : विधि मंत्री ने बताया है कि उच्च न्यायालय के जजों की आयु सम्बन्धी २० मामले विभाग के सामने हैं।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

क्या जजों ने सरकार से निवेदन किया है या सरकार विवाद कर रही है ? पहले मामले में जज ने अपनी आयु में परिवर्तन करने की अभियाचना नहीं की थी अपितु सरकार ने ही उसकी आयु के सम्बन्ध में झगड़ा खड़ा किया था। माननीय विधि मंत्री इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें।

†**विधि मन्त्री (श्री अ० कु० सेन)** : मैंने २० नहीं कहा, मैंने कहा था कि एक उच्च न्यायालय में ही ५ थे। श्री माथुर ने २० बताये थे।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या सरकार ने आयु में परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई झगड़ा उठाया है उनको सेवा निवृत करने के लिये ?

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : विधि मंत्री को इस बात का उत्तर अवश्य देना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री वादविवाद का उत्तर देते समय इस बात का स्पष्टीकरण करेंगे।

†**श्री च० का० भट्टाचार्य**: विधेयक में उच्च न्यायालय के जज की आयु सम्बन्धी फैसला राष्ट्रपति पर छोड़ दिया गया है। परन्तु यह तथ्य का प्रश्न है, मत का प्रश्न नहीं कि राष्ट्रपति या मंत्री फैसला कर सकें। इसका फैसला न्यायालय द्वारा ही संभव है। श्री त्रिदिव कुमार चौधरी, श्री श्रीनारायण दास ने भी कहा है कि इस बात का फैसला राष्ट्रपति पर नहीं छोड़ना चाहिये।

राज्य सभा में प्रेस परिषद् के सभापति को राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित करने के सम्बन्ध में श्री हृदयनाथ कुंजरू ने इसका विरोध करते हुए कहा था कि राष्ट्रपति को ऐसे मामलों में मंत्री की सिफारिश माननी पड़ती है, जो राजनीतिक कारणों पर आधारित होती है।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य) : अन्य सभा के साधारण सदस्यों के कृत्यों का उल्लेख इस सभा में नहीं किया जाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह पहले के सत्र का है या इसी सत्र का ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री च० का० भट्टाचार्य : १९५६ की कार्यवाही का उल्लेख है। श्री कुंजरू ने नामनिर्देशन राज्य सभा के सभापति द्वारा किये जाने के पक्ष में तथा उस सभापति द्वारा न किये जाने के विरोध में कहा था। श्री पी० एन० सप्रू ने भी नामनिर्देशन राष्ट्रपति द्वारा न किये जाने का समर्थन किया था। अतः उच्च न्यायालय के जज की आयु का फैसला राष्ट्रपति को न सौंप कर उच्चतम या उच्च-न्यायालयों के जजों के एक प्रशासी न्यायाधिकरण को सौंप दना चाहिये, जो अपनी प्रक्रिया स्वयं करें, जज की आयु का फैसला करें, जब मामला उन के पास भेजा जाय। यह मेरा सुझाव है।

†श्री बड़े (खरगोन) : यह प्रसन्नता की बात है कि यह विधेयक प्रवर समिति के विचारार्थ भेजा जा रहा है।

विधि आयोग की सिफारिश पर उच्च न्यायालय के जजों की आयु ६० से ६५ तक बढ़ाने का उपबन्ध है। किन्तु आयोग ने ६५ तक बढ़ाने को कहा था। जब सरकारी कर्मचारियों की आयु ५५ से ५८ कर दी गई है तो उनके मामले में ६५ या ६३ तक क्यों नहीं बढ़ाई गई ?

प्रवर समिति को इस सम्बन्ध में विचार करना चाहिये कि नीचे के जजों की सेवानिवृति की आयु को क्यों न बढ़ाया जाए जब उच्च न्यायालय के जजों की आयु बढ़ाई जा रही है। मैं व्यक्तिगत रूप से सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के पक्ष में नहीं क्योंकि उस आयु में लोगों को कई प्रकार के रोग आ घेरते हैं। अतः बुढ़ापे में उन को रिटायर करके युवकों को उनका स्थान लेने देना चाहिये, क्योंकि वे अपने काम में सुस्त हो जाते हैं। न्यायालयों में मामलों के निलंबित पड़े रहने का भी यही कारण है कि वे काम में रुचि नहीं लेते।

जजों को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में बदलते समय कुछ भत्ते देने का उपबन्ध किया जा रहा है, किन्तु सरकारी कर्मचारियों के लिये ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है। अकेले जजों को ही यह भत्ता क्यों दिया जाय इस पर विचार किया जाये।

स्थानीय प्राधिकारों द्वारा व्यवसायों आदि पर लगाये जाने वाले करों की सीमा २५० से ५०० रुपये तक बढ़ाने का संशोधन है। यह ५०० की सीमा भी कम है, अतः इसे और अधिक बढ़ाना चाहिये।

अनुच्छेद ३११ सम्बन्धी संशोधन के द्वारा सरकारी कर्मचारी का बहुत बड़ा अधिकार छीना जा रहा है। पहले जांच होने का नियम अनिवार्य था तथा कारण बताने के पर्याप्त अवसर का उपबन्ध था परन्तु अब केवल एक अवसर देने तथा कई अवस्थाओं में जांच न करवाने का उपबन्ध किया जा रहा है। यह उचित नहीं है, एक मामले में किसी कर्मचारी पर संदेह किया गया कि वह अधिकारी राजनीतिक दल में नागपुर गया। किन्तु जब उसने अपनी बीबी को बच्चों को लाने का कारण बताया तो उससे मजाक किया गया कि उसने बच्चा उधार ले लिया होगा। अतः अनुच्छेद ३११ में दिया गया अधिकार वापिस नहीं लिया जाना चाहिये। इस संशोधन को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये।

संविधान में बार बार संशोधन करने भी ठीक नहीं। संविधान लचीला तो हो, परन्तु बारबार उसमें परिवर्तन करना वांछनीय नहीं।

जजों की आयु में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिये। उनकी सेवा निवृत्ति की आयु या तो सब के लिये ६५ कर दी जाए या इसे ६० ही रहने दिया जाये ताकि युवकों को राष्ट्र की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो।

†डा० पं० शा० देशमुख (अमरावती) : खंड २, ४ आदि के उपबंधों का अधिकतर सदस्यों ने विरोध किया है। इन तर्कों पर अच्छी तरह विचार किया जाना चाहिये विधि

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० पं० शा० देशमुख]

मंत्री तथा संयुक्त समिति के द्वारा। विधि मंत्री को सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने एवं जजों की जन्म तिथि निर्धारित करने के बारे में समूची सभा का मत संयुक्त समितिके सामने रखना चाहिये।

संविधान में बारबार संशोधन करना उचित नहीं। मैं जजों को यह विशेष हैसियत या विशेषाधिकार देने का विरोध करता हूं। क्योंकि जज का चरित्र महान और उसकी योग्यता संदेह से ऊपर होती है। परन्तु जब वे वर्षों बाद अपनी जन्म तिथि में परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो उन पर संदेह होने लगता है। यदि कोई सचाई भी हो तो भी उच्च न्यायालय के जजों को ऐसा नहीं करना चाहिये। यदि वे संयम रखने को तैयार नहीं तो उनके साथ साधारण नागरिक से भिन्न व्यवहार करना उचित नहीं है। यदि उन्हें आयु में परिवर्तन करवाना है तो वे साधारण न्यायालय में जाकर करवाएं। इस काम के लिये राष्ट्रपति आदि को बीच में डालना ठीक नहीं। उनके मामले में रोकने की विधि लागू होनी चाहिये। उनको एक बार नियत जन्म तिथि को बदलने नहीं देना चाहिये।

यद्यपि जीवनायु बढ़ने की बात हो रही है, परन्तु मैं जजों की सेवानिवृत्ति आयु को बढ़ाने के पक्ष में नहीं। यह पहले ही बहुत बढ़ी हुई है। सेवा विस्तार का लाभ देने से युवकों पर प्रभाव पड़ता है। हमें पूरे १० वर्ष तक और रुकना चाहिये ताकि नया रक्त और अधिक योग्य लोग आगे आ सकें और उन का भविष्य रुका न पड़ा रहे।

स्थान परिवर्तन पर भत्ता देने का उपबंध उचित नहीं। यदि अनिवार्य है तो उन के वेतन बढ़ा दो, किन्तु उन को इस प्रकार के प्रलोभनों से प्रसन्न करना ठीक नहीं। संयुक्त समिति इन सब बातों पर विचार करके इन आपत्तिजनक संशोधनों को अस्वीकार कर दे।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

खण्ड १४ में 'छुट्टियां समेत' शब्दों का प्रयोग संविधान में जोड़ने के लिये उचित नहीं है कोई उचित शब्द इन के स्थान पर रख कर उत्तम संशोधन का सुझाव किया जाना चाहिये।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (जालौर): हम जानना चाहते हैं कि कितने जजों ने जन्म तिथि को बदलने की प्रार्थना की है। सदा यह तर्क सामने आया है कि सरकार स्वयं जजों की आयु को काटने के लिये झगड़े खड़े करती रहती है, जज नहीं करते। भूतलक्षी प्रभाव देने की बात कही गई है। यह प्रभाव क्या होगा। इन सब बातों का उत्तर दिया जाए, ताकि हमें यथार्थ स्थिति की सूचना प्राप्त हो। विधि मंत्री इन बातों का स्पष्टीकरण करें।

†**श्री अ० ना० विद्यालंकार** (होशियारपुर): कितने ही मामले विधेयक में जोड़े गये हैं, फिर भी यह व्यापक विधेयक नहीं बना।

सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का मामला देर से लंबित है और कई जज रिटायर होने को हैं। क्या इसे भूतलक्षी प्रभाव किया जाएगा?

मैं जन्म तिथि निर्धारित करने के मामले में राष्ट्रपति को बीच में लाने के पक्ष में नहीं। जज की नियुक्ति से पूर्व ही जन्मतिथि का फैसला हो जाना चाहिये। वर्तमान जजों के मामले में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति को यह काम सौंप देना चाहिये क्योंकि

---

†मूल अंग्रेजी में।

राष्ट्रपति साधारणतया गृह मंत्री के परामर्श पर फैसला करता है जो इस मामले में उचित नहीं। न्यायापालिका में कार्यपालिका का हस्तक्षेप वांछनीय नहीं ।

श्री त्यागी की बात से मैं सहमत हूं कि ऐसे झगड़े हमारे जजों की नेकनीयती पर बुरा प्रभाव डालते हैं । मेरा सुझाव है कि किसी जज के हलफनामे को उसकी आयु के संबंध में स्वीकार कर लिया जाना चाहिये ।

सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्ति का मामला उठा है । औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत ६५ वर्ष से बड़ी आयु का कोई जज न्यायाधिकरण में नियुक्त नहीं किया जा सकता । अतः ६२ वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु रखने पर रिटायर जज न्यायाधिकरण में ३ वर्ष से अधिक काम नहीं कर सकता, इस बात को ध्यान में रख कर ही सेवानिवृत्ति की आयु नियत की जानी चाहिये । ६५ वर्ष तक आयु बढ़ाने पर हमें अन्य विधियों में भी कुछ संशोधन करने की आवश्यकता पड़ेगी ।

†**श्रीमती सरोजनी महिषी** (धारवाड़--उत्तर): इस विधेयक में बहुत से उपबंध हैं जिन का आपस में कोई संबंध नहीं । इनमें से बहुत से उपबंध पांचवें संशोधन में लाये जाने चाहिये थे, किन्तु वे लाये नहीं जा सके । अब वे तथा अन्य उपबंध इस विधेयक में जोड़े गये हैं ।

स्थानीय सरकार में न्यायापालिका का महत्व बहुत बड़ा होता है । यह संविधान की रक्षक होती हैं ।

श्री त्यागी ने भारतीय न्यायपालिका में गिरावट आ जाने का जिक्र किया था तथा बर्तानवी न्यायापालिका की प्रशंसा की थी । मुझे इसका कारण समझ में नहीं आता । हमारी न्यायपालिका तथा जज सीमा की किसी न्यायपालिका से घटिया नहीं है । हमारे देश में न्यायपालिका का सुन्दर इतिहास है, स्मृतिकार तथा टीकाकारों ने समय समय के अनुसार समुचित विधि का सृजन किया है । स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भी हमें बड़े प्रसिद्ध जज मिले हैं । बर्तानवी जजों ने बाहर से भारत में लाई गई विधि का यहां के पंडितों और मौलवियों की सहायता से निजी विधि का निर्वचन करने का प्रयत्न किया था । प्रत्येक विधि को न्याय, सद्भावना तथा समानता के आधार पर लागू करना था । हमारे देश में प्रसिद्ध जजों का सुन्दर उदाहरण मिलता रहा है ।

उच्च न्यायालय के जज के लिये सेवानिवृत्ति की आयु ६० और उच्चतम न्यायालय के जज के लिये ६५ थी । दोनों के लिये अपेक्षित योग्यतायें समान हैं, फिर यह आयु का अन्तर क्यों हो । मुझे समझ में नहीं आता कि उच्च न्यायालय के जज के लिये ६२ तक ही क्यों बढ़ाया जा रहा है । ६५ तक बढ़ाने में क्या हानि है ? उन को जल्दी रिटायर करके उच्चतम न्यायालय के जज बनने का अवसर प्राप्त करने से क्यों वंचित किया जा रहा है । संयुक्त समिति को इस बात पर पुनः विचार करना चाहिये ।

दूसरा संशोधन संविधान के अनुच्छेद २२० में परिवर्तन करने के बारे में है । इस संशोधन की बजाय मेरा निवेदन यह है कि सेवा-निवृत्त न्यायाधीश को किसी और सेवा में लेने या पुनः वकालत शुरू करने के स्थान पर सेवानिवृत्ति की आयु ही ६५ तक बढ़ा दी जाये ६५ के बाद उसके वकालत या नौकरी करने की मनाही होनी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती सरोजनी महिषी]

अनुच्छेद २२६ भी संशोधित किया जा रहा है ताकि उच्च न्यायालयों को और अधिकार दे दिये जायें। अब यह संभव हो जायेगा कि मुकदमा लड़ने वालों को दूर दूर के स्थानों से पंजाब उच्च न्यायालय में उपचार के लिए नहीं आना पड़ेगा बल्कि अपने उच्च न्यायालयों में जहां कार्यवाही का कारण उत्पन्न हुआ हो, लेख प्राप्त करने के लिए जाना पड़ेगा।

स्थानीय प्राधिकारियों को व्यापार अथवा व्यवसाय पर कर की अधिकतम सीमा को २५० रुपये से बढ़ा कर ५०० रुपये कर देने की जो शक्ति दी जा रही है उससे जनसाधारण पर भार बढ़ जायेगा। उसे अधिक से अधिक ३०० रुपये ही करना चाहिये।

मैं इस संशोधक विधेयक का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि जो सुझाव मैंने दिये हैं उन पर विचार किया जायेगा।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं अपना भाषण संविधान के अनुच्छेद ३११ के संशोधन तक सीमित रखूंगा।

मैं अपने माननीय मित्र का, जिन्होंने यह सुझाव दिया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा-निवृत्ति की आयु ६२ से ६५ कर देनी चाहिये, जैसा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में किया गया है, स्वागत करता हूं।

अनुच्छेद २२६ में संशोधन पर मैं सरकार को बधाई देता हूं। इससे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की कठिनाइयां दूर हो जायेंगे।

अनुच्छेद ३११ के संशोधन से मुझे आश्चर्य हुआ है और मैं माननीय विधि मंत्री से यह पूछना चाहूंगा कि इस की क्या आवश्यकता थी। यही एक अनुच्छेद था जिसके अन्तर्गत सरकारी कर्मचारी उन से अन्याय होने की हालत में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों का आश्रय ले सकते थे। इस संशोधन के अनुसार पद में कमी कर देने के बड़े दंड को छोटा दंड समझा जायेगा। ऐसे दंड में परेशानी के अलावा १०० रुपये तक की हानि हो सकती है।

मूल अनुच्छेद के अतर्गत कर्मचारी को कारण दिखाने का जो अवसर मिलता था, वह अब बन्द हो जायेगा। मैं विधि मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह बतायें कि सरकार ने वे कौन से मामले देखे थे, जिनके कारण उन्हें अनुच्छेद ३११ में यह संशोधन करना पड़ा। यह अनुच्छेद सरकारी कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए एकमात्र साधन है।

इस संकट के समय, यदि इस संशोधन को पारित कर दिया गया, तो बहुत से सरकारी कर्मचारियों को कठिनाई होगी। सरकारी कर्मचारियों के सभी संगठनों ने इस समय सरकार को पूर्ण सहयोग देने का वचन दिया है और यह भी आश्वासन दिया है कि वे हड़ताल नहीं करेंगे। इस आश्वासन के बावजूद भी ऐसा संशोधन लाया गया है, यह बहुत आश्चर्यजनक है। यह बहुत अच्छा होगा यदि इस को वापस ले लिया जाये।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : मंत्री महोदय के जाने के बाद मैं ने पूछा था कि क्या पूरी जानकारी दी जा सकती है ?

†**श्री अ० कु० सेन** : मेरे भाषण के बाद संभवतः उन्हें अपना उत्तर मिल जायेगा। मैंने उनके प्रश्नों को नोट कर लिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं यह चाहता था कि चूंकि श्री माथुर को बहुत सी बातें कहनी हैं, यदि उन का नाम संयुक्त समिति में ले लिया जाता तो अधिक अच्छा होता।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : संविधान (पन्द्रहवां संशोधन) विधेयक से यह प्रकट होता है कि हम ऐसी दिशा में जा रहे हैं कि सारी शक्तियां कार्यपालिका के हाथों में केंन्द्रित हो जायें। इस विधेयक से सरकार के इस रवैये का पता चलता है। अन्य प्रजातंत्रों में यह जानने का प्रयत्न किया जा रहा है कि कार्यपालिका की ज्यादतियों को कैसे दूर किया जाये। इस विषय में राजनीतिज्ञ या सरकार या प्रशासन का कोई महत्व नहीं है। महत्व इस बात का है कि क्या नागरिक को उचित न्याय मिलता है या नहीं।

आप अनुच्छेद ३११ का संशोधन करने जा रहे हैं जिस का प्रभाव सरकारी कर्मचारियों पर पड़ता है। यदि आप उन विभिन्न मामलों का अध्ययन करें, जिन में अनुच्छेद ३११ के अन्तर्गत प्रक्रिया सम्बन्धी जटिलताओं के कारण कठिनाई उत्पन्न हुई है; उस का मुख्य कारण विभागीय जांच करने वाले प्राधिकारी की अयोग्यता है, क्योंकि उनसे कहीं न कहीं गलती होती है।

गृह-मंत्री ने कहा है कि यह संशोधन भ्रष्टाचार के लिये दंड देने के लिये किया जा रहा है। मुझे यह समझ नहीं आया कि भ्रष्टाचार इस के अन्तर्गत कैसे आता है। भ्रष्टाचार-निरोधी उपायों के सम्बन्ध में हम बहुत से अधिनियम पारित कर चुके हैं, किन्तु उन का कोई खास परिणाम नहीं निकला। मैं चाहता हूं कि हमें एसी व्यवस्था करनी चाहिये जिस के द्वारा प्राधिकारियों की कार्य-पालिका कार्यवाहियों पर पुर्नविचार किया जाये और कोई ऐसा प्रबन्ध होना चाहिये जिस से सेवाओं का उत्साह बढ़ सके और वे अपनी स्वतंत्रता को कायम रख सकें और सरकार के हाथों से उन्हें न्याय प्राप्त हो सके।

इस समय सेवाएं बहुत निरुत्साहित हैं और उन पर बहुत राजनीतिक दबाव है। अतः यदि अनुच्छेद ३११ को संशोधित किया जाना है, तो हमें ऐसा भी प्रबन्ध करना चाहिये जिस से उस का कार्यकरण अच्छी तरह हो सके। कार्यपालिका की कार्यवाही का पुनरीक्षण करने के लिये एक सलाह-कार निकाय भी बनाया जा सकता है, जोकि एक उच्च-शक्ति प्राप्त स्वतंत्र निकाय होना चाहिये। यह बहुत आवश्यक है।

न्यायपालिका के सम्बन्ध में मैं न्यायाधीशों को सेवा की अच्छी शर्तें देने और उन की सेवा-निवृत्ति की आय बढ़ाने के विरुद्ध नहीं हूं। आप इस आयु को ६२ या ६५ तक, जो भी उचित समझी जाय, बढ़ा सकते हैं हमें चिन्ता केवल इस बात की है कि न्याय शीघ्र होना चाहिये। मुझे यह समझ नहीं आया कि सेवानिवृत्ति की आयु ६२ के स्थान पर ६५ क्यों नहीं किया गया।

मैं नहीं जानता कि क्या पहले भी ऐसे न्यायाधीश होते थे जो १०, १५ या २० वर्ष तक लगातार न्यायाधीश बने रहते थे। किन्तु अब ऐसा हो सकता है क्योंकि ३७, ४०, ४२ और ४५ वर्ष के आयु के व्यक्तियों को न्यायाधीश नियुक्त किया जा रहा है। वे उच्च न्यायालय में २० या २५ वर्ष तक रहेंगे इसलिए वे सुस्त हो जायेंगे। कार्यपालिका शाखा में भी किसी विभागाध्यक्ष को ४, ५ या ७ वर्ष से अधिक अवधि के लिये नहीं रहने दिया जाता।

इसी तरह यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि न्यायाधीश भी इन्सान है। उन के १५, २० या २५ वर्ष तक एक स्थान पर रह जाने से उनकी पसन्द या नापसन्द की भावनायें बन जाती है। इसलिए ५ या ७ साल के बाद उनका स्थानांतरण अवश्य हो जाना चाहिये। तभी उन के मन में पूर्ण स्वतंत्रता की भावना पैदा हो सकती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

न्यायाधीशों की आयु के सम्बन्ध में हमें स्वस्थ परम्पराओं का पालन करना चाहिये। नौकरी में प्रवेश करते समय बताई गई आयु में बाद में कभी परिवर्तन नहीं करना चाहिये। नौकरी में प्रवेश के समय समुचित विचार के पश्चात् जो आयु निश्चित रूप में मान ली गई है उस में बाद में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन करना अनुचित है। हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये जिस से पक्षपात का आभास हो।

न्यायाधीशों की गैरनियमित नियुक्तियां, उन्हें पुनर्नियोजित करना तथा जिस राज्य के वे निवासी है वहां पर ही उन का काम करते रहना ठीक नहीं है। वे राज्य सरकार की सेवा के अधीन हैं और कार्यपालिका के प्रभाव से वे सदा मुक्त नहीं रहते हैं। मुख्य न्यायाधीश को अपने निवास के राज्य से कभी सम्बन्धित नहीं रहना चाहिये।

†**श्री वी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : विधेयक के अधिकांश खण्ड अनौचित्य है। अनुच्छेद २२० का संशोधन ही लीजिये। इसी विषय पर सभा में गैरसरकारी सदस्यों का एक विधेयक विचाराधीन है। माननीय विधि मंत्री ने संविधान (पन्द्रहवां संशोधन) विधेयक के रूप में मेरा गैरसरकारी विधेयक समाविष्ट करने की तो कृपा की है किन्तु उसमें मेरे नाम का कोई निदेश नहीं किया है। यह अनुचित है कि गैरसरकारी सदस्य के नाम का उल्लेख किये बगैर उस का संशोधन प्रयुक्त कर लिया गया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय विधि मंत्री इस देश को उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों के लिये स्वर्ग बना देना चाहते है। न्यायाधीशों की आयु सीमा में वृद्धि की जा रही है किन्तु मजिस्ट्रेटों और पुलिस पदाधिकारियों के लिए ऐसा कोई उपबन्ध नहीं किया जा रहा है। यह सर्वथा युक्तिरहित है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिये ६२ वर्ष और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिये ६५ वर्ष की आयु-सीमा निर्धारित करने के पीछे कोई तर्क समझ में नहीं आता है।

न्यायाधीशों के स्थानान्तरण के बारे में भी मुझे कुछ कहना है। कार्यपालिका पदों पर सामान्यतया तीन वर्ष में स्थानान्तरण कर दिया जाता है। फिर न्यायाधीशों के बारे में ही ऐसा क्यों नहीं किया जाता है।

कदाचित तदर्थ न्यायाधीश किसी अन्य देश में भी हों यद्यपि मैंने तो यह कभी नहीं सुना है। तदर्थ समितियों के साथ ही अब हम तदर्थ न्यायाधीश भी नियुक्त कर रहे हैं। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का अर्थ है प्रतिभा-सम्पन्न युवक वर्ग की पदोन्नति में अवरोध उत्पन्न करना। यदि अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता है तो स्थायी न्यायाधीश नियुक्त कीजिये, तदर्थ नहीं। प्रजातंत्र का अभिप्राय है कर्मचारियों के लिए समान अवसर उपलब्ध करना।

नगरपालिकाओं को ५०० रुपये तक व्यवसाय कर लगाने का अधिकार युक्तिसंगत नहीं है। हमारी आय-प्रति व्यक्ति आय दुगुनी नहीं हुई है। कर और आय में परस्पर सम्बन्ध होना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० कु० सेन** : जिन तीन मामलों में निर्णय दिये गये हैं वे निम्नलिखित हैं :—एक पंजाब उच्च न्यायालय से है। नियुक्ति के समय बताई गई आयु और स्कूल और कालेज के रिकार्ड तथा मैट्रिकुलेशन सर्टीफ़िकेट में बताई गई और एडवोकेट के लिए नाम दर्ज कराते समय की आयु में अन्तर है। इस विषय की जांच के समय जब भारत के मुख्य न्यायाधीश की सम्मति ली गई तो उन्हों ने कहा कि स्कूल और कालेज के रिकार्ड, मट्रिकुलेशन सर्टीफिकेट तथा एडवोकेट के लिये नाम दर्ज कराते समय बताई गई आयु ही विश्वस्त है, न्यायाधीश की नियुक्ति के समय बताई गई आयु नहीं। इस विषय में सम्पूर्ण साक्ष्य भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये थे।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का मामला इस प्रकार है कि उन्हों ने अपनी आयु समान बताई थी किन्तु सेवानिवृत्त होने का समय उपस्थित होते देखकर उन्होंने कुछ दस्तावेज़ पेश किये जिन का मंतव्य यह था कि उन्हें देर से सेवानिवृत्त किया जाना चाहिये था। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने अपनी सम्मति प्रकट की कि जो साक्ष्य बाद में प्रस्तुत किया गया है वह विश्वास योग्य नहीं और आरम्भ में दी गई आयु का समर्थन मेट्रिकुलेशन सर्टीफिकेट में भी किया गया है अतः वही मानने योग्य है।

पटना उच्च न्यायालय में एक मुकदमा करने वाले व्यक्ति ने शिकायत की थी। आयु के सम्बन्ध में संवैधानिक उपबन्ध है। ६० वर्ष की आयु के बाद न्यायाधीश का कोई क्षेत्राधिकार नहीं रहता है। संविधान के अन्तर्गत ६० वर्ष की आयु सीमा प्राप्त करने पर उस का पद पूर्णतः शून्य और आकृत है। नियुक्ति के समय पूरा साक्ष्य नहीं देने से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सब मामलों में भारत के मुख्य न्यायाधीश की राय पर दिये गये सरकार के निर्णय को न्यायाधीश स्वीकार कर लेते हैं। एक दुर्भाग्यपूर्ण मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने सरकार के निर्णय को मानने से इन्कार कर दिया। इस में, एक हलफनामा है। उक्त न्यायाधीश ने मुख्य न्यायाधीश से कहा कि मैं आप की राय स्वीकार कर लूंगा किन्तु लोग यह सोचेंगे कि मैं ने गलत घोषणा की थी इसीलिये यदि आप मुझे एक पत्र लिख कर दे दें कि ताकि मुझ पर अविश्वास न किया जाये तो मैं फिर इस के बाद कुछ कार्यवाही नहीं करूंगा। इस आश्वासन पर मुख्य न्यायाधीश ने यह पत्र लिख कर दे दिया कि "आप के वक्तव्य पर विश्वास न करने का कोई प्रश्न नहीं है, सरकार की यह नीति है कि अन्य किसी साक्ष्य के अभाव में सरकार मैट्रिकुलेशन सर्टीफिकेट को ही सही साक्ष्य मानती है अतः इस आधार पर मैट्रिकुलेशन सर्टीफिकेट और सिविल सर्विस परीक्षा की घोषणा के अनुसार आप की आयु स्वीकार की गई थी।" यह पत्र प्राप्त करने के पश्चात् उक्त न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर कर दिया कि सरकार ने इस विषय में स्वेच्छापूर्वक ही निर्णय किया है। पंजाब उच्च न्यायालय ने यह दलील स्वीकार नहीं की और उन्होंने न्यायाधीश की तीव्र भर्त्सना की जो किसी वर्तमान अथवा भूतपूर्व न्यायाधीश के प्रति शोभास्पद नहीं है। उन्हों ने कहा कि सरकार अथवा मुख्य न्यायाधीश ने कोई स्वेच्छाचारिता नहीं बरती है और उक्त न्यायाधीश ने किसी भी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत करने से इन्कार कर दिया था। मैट्रिकुलेशन सर्टीफिकेट तथा सिविल सर्विस परीक्षा, लंदन में की गई घोषणा का खण्डन करने के लिये साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये उन से दो वर्ष तक कहा गया किन्तु उन्होंने कहा कि वे ऐसा नहीं करेंगे। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने सरकार को परामर्श दिया कि मैट्रिकुलेशन सर्टीफिकेट में रिकार्ड की गई आयु ही स्वीकार करनी चाहिये।

राजस्थान के एक न्यायाधीश के मामले में भी मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर सरकार ने यह निर्णय किया कि न्यायाधीश को मट्रिकुलेशन सर्टीफिकेट में दी गई आयु ही स्वीकार करनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री अ० कु० सेन]

अभी पांच मामले विचाराधीन हैं। न्यायाधीशों के सहयोगियों द्वारा ये मामले सरकार की जानकारी में लाये गये। उन की अभी जांच की जा रही है। उन का उल्लेख करना हमारा विचार नहीं है। यह शोभास्पद नहीं है। अधिकांश न्यायाधीशों ने सरकार का निर्णय स्वीकार कर लिया। प्रत्येक निर्णय में यह बताया गया था कि यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किया गया है। किसी भी मामले में सरकार ने यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश से बिना परामर्श किये अथवा उन के परामर्श के विरुद्ध किया था। प्रत्येक मामले में उपलब्ध साक्ष्य भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था और जो भी परामर्श भारत के मुख्य न्यायाधीश ने दिया सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** (बरहामपुर) : क्या सरकार इस आशय का विधेयक में इस आशय का संशोधन समाविष्ट करने के लिए सहमत है?

†**श्री अ० कु० सेन** : यदि हम बिना संशोधन इसे कर लें तो संविधान में इस की व्यवस्था क्यों की जाती। संविधान में किसी भी मामले में इसे अनिवार्य नहीं बताया गया है किन्तु सरकार ने प्रत्येक मामले में मुख्य न्यायाधीश से परामर्श किया है।

स्थानान्तरण के मामलों में भी यह संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अथवा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले कर ही किये जाते हैं।

यह हमारा सिद्धान्त है कि संबंधित मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के अतिरिक्त इन मामलों में कुछ नहीं किया जाना चाहिये और हम ने यह कभी नहीं किया है। उदाहरणार्थ, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं; यह नहीं लिखा हुआ है कि यह भारत में मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से पश्चात किया जाये अथवा यह परामर्श लेना अनिवार्य है, किन्तु प्रत्येक मामले में मुख्य न्यायाधीश नाम भेजते हैं और बाद में नियुक्ति की जाती है। यही बात उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में है मुख्य न्यायाधीश नाम भेजते हैं उस के बाद उन की नियुक्ति की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और स्थानीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बीच मतभेद की बात अलग है।

अतः यह स्मरण करना आवश्यक है कि सरकार ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श बगैर कुछ नहीं किया है तथा प्रत्येक मामले में मुख्य न्यायाधीश ने उच्च न्यायालय से मुख्य न्यायाधीश की मार्फत यह मालूम किया है कि इस विषय में क्या विचार है और न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के सम्बन्ध में उन्हें क्या कहना है। स्थिति इस प्रकार है। किसी के मन में यह आशंका नहीं होनी चाहिये कि सरकार ने बिना यथोचित पड़ताल अथवा देश की सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार का परामर्श प्राप्त किये बिना कोई कार्य किया है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मिस्टर जे० पी० मित्तर के मामले में जो हुआ वह सब मामलों में होता है। जब न्यायाधीश कोई बात कहता है तो एकदम उसे स्वीकार कर लिया जाता है और उस पर पड़ताल नहीं की जाती है। विश्वविद्यालय का प्रमाणपत्र मांगा जाता है और तब सरकार गलत आयु स्वीकार करने के लिये प्रस्तुत नहीं है। यदि वास्तव में उनकी आयु ६० वर्ष है तो उन्हें सेवानिवृत्त हो जाना चाहिये। श्री त्रिदिब कुमार चौधरी का विचार है कि यह न्यायपालिका में हस्तक्षेप है पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि यदि जांच पड़ताल

---

†मूल अंग्रेजी में

विधि अनुसार और साक्ष्य नियमों के अनुसार की जाये तो इस से स्वतंत्रता को कोई भय नहीं है। यदि श्री त्रिदिब कुमार चौधरी को यह सब बातें मालूम होतीं, तो वह शायद ऐसी बात न कहते।

उन्हों ने आगे बताया कि यह मानना असम्भव है कि उस ने अनजाने में यह सब किया होगा। इण्डियन सिविल सर्विस परीक्षा में बैठने के समय उस की आयु उस के कथनानुसार २१ वर्ष थी। वह जानता था कि इस से कम आयु होने पर वह इस परीक्षा में नहीं बैठ सकता। १३ वर्ष की आयु में भी उस ने इसी प्रकार का काम किया था जबकि वह मैट्रिक परीक्षा में बैठा था। मुख्य न्यायाधीश को उस ने जो पत्र लिखा है उस में उस ने बताया है कि अनजाने में ही उस ने यह सब किया है। मुझे इस बात का भी विश्वास नहीं है कि उस ने सारी बात सर ट्रैवर हैरिस को सही बताई होगी और उन की मृत्यु के बाद उन का उल्लेख करना इस बात का संदेह पैदा करता है कि इस में भी कुछ चाल है।

उन्हों ने आगे बताया कि गृह-कार्य मंत्रालय ने इस मामले को दुबारा शुरू कर के कोई गलत काम नहीं किया है। आवेदनकर्ता को पर्याप्त अवसर दिया गया कि वह अपनी आयु के संबंध में पर्याप्त प्रमाण दे, परन्तु उस ने इस अवसर का कोई लाभ नहीं उठाया और इसी बात को चुनौती देता रहा कि गृह-कार्य मंत्रालय को इस मामले को दुबारा शुरू करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि इस मामले में आरम्भ की गई जांच के पीछे कोई बुरी नीयत नहीं थी।

और अन्त में न्यायाधीश महोदय ने यह कहा है कि आवेदनकर्ता ने पहले भी अपना हित साधने के लिये कई अवसरों पर अपनी जन्म तिथि गलत बताई है और इस मामले में उसे कोई रियायत देना झूठ को प्रोत्साहन देना होगा। आगे उन्होंने कहा कि मैं इसी आधार पर इस आवेदन पत्र को रद्द करता हूं कि किसी आदमी ने पहले झूठ बोल कर कोई काम बनाया था और अब वह उसे सही कराना चाहता है।

इसी कारण विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश करते समय मैंने इन में से किसी भी मामले का उल्लेख नहीं किया। दोनों मामलों में हर न्यायाधीश ने कहा कि वह भारत के मुख्य न्यायाधिपति के निर्णय को सर्वोच्च मानेगा। जब उस व्यक्ति का आवेदनपत्र रद्द हो गया, तो उस ने मुख्य न्यायाधिपति के विरुद्ध कलकत्ता के उच्च न्यायालय में अपील की। इस अपील में उस ने मुख्य न्यायाधिपति तथा हम लोगों पर आरोप लगाये और कहा कि इस षड्यंत्र में हम सब शामिल हैं। मुझे बड़ा खेद है कि एक न्यायाधीश ने हम लोगों द्वारा दिये जाने वाले सम्मान का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश की।

मैं बिना किसी संकोच के यह कह सकता हूं कि इस न्यायाधीश ने बहुत ही अपमानजनक काम किया है।

सरकार मुख्य न्यायाधिपति की सलाह के बिना कोई कदम नहीं उठाती और आगे भी सरकार उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में मुख्य न्यायाधीश की राय के बिना कोई भी क़दम नहीं उठायेगी। इस नियम का हम सम्मान पूर्ण ढंग से पालन करते रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी न्यायपालिका नागरिकों के बीच और नागरिकों तथा राज्य के बीच पैदा होने वाले विवादों का न्याय कर सके। लोकतंत्र के न्यायालयों का यह एक बहुत बड़ा काम है। हम इस परम्परा को भंग नहीं करना चाहते क्योंकि हम नहीं चाहते कि न्यायपालिका पर से जनता का विश्वास उठ जाये। हमें इस बात का अभिमान है कि हमारे देश की न्यायपालिका ने सदैव ही स्वस्थ्य परम्परा के अनुसार काम किया है। मुझे आशा है कि यह संसद् और सरकार चाहेगी कि न्यायापालिका में लोगों का विश्वास बना रहे क्योंकि इस के बिना लोकतंत्र एक दिखावा मात्र रह जायेगा। ऐसे मामलों के

[श्री अ० कु० सेन]

कारण ही लोगों का विश्वास न्यायपालिका पर से उठ जाता है, परन्तु मेरा विश्वास है कि ऐसे मामले इक्का-दुक्का ही होते हैं ।

अनुच्छेद ३११ के संबंध में भी मुझे कुछ कहना है । हम असैनिक कर्मचारियों का यह अधिकार नहीं छीन रहे हैं कि वे किसी बात के संबंध में जांच की मांग नहीं कर सकते और उन के मामले में उन्हें अपनी बात कहने का पूरा अवसर न दिया जाये । उन का यह अधिकार तो बना ही रहेगा । केवल किसी का पद घटाने की स्थिति में वह संवैधानिक अधिकार छीना जा रहा है । मैं समझता हूं कि ऐसे मामलों में असैनिक सेवा विनियम पर्याप्त है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : नियमों का पालन नहीं किया जाता । इस का कोई इलाज होना चाहिये ।

†**श्री अ० कु० सेन** : नियमों का पालन कराने के लिये आप न्यायालयों का सहारा ले सकते हैं । यह कहा गया है कि असैनिक सेवायें वर्गीकरण नियमों को परमादेश लेख्य द्वारा लागू कराया जा सकता है । इस बात का निर्णय सभा करेगी कि पद का घटाया जाना और पदच्युति दोनों मामलों में समान व्यवस्था होनी चाहिये या नहीं । उचित जांच के लिये समस्त परित्राणों की व्यवस्था है । हम केवल इतना ही कर रहे हैं कि आरोपों की सुनवाई, आरोपों का निर्धारण करना और दण्ड का निर्णय करते समय बार-बार वही प्रक्रिया दुहराई न जाये ।

†**श्री प्रभात कार** (हुगली) : जबकि संविधान में उपबन्ध मौजूद है, तो फिर कठिनाई क्या है ?

†**श्री अ० कु० सेन** : कठिनाई यह है कि दण्ड देते समय फिर से पूरी प्रक्रिया को दुहराना पड़ता है क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि आरोपों को संबंध में मूल जांच ही पर्याप्त नहीं होगी । पदच्युति के दण्ड के संबंध में स्थिति इस प्रकार है । संविधान बनाते समय जो परित्राण रखा गया था वह बना हुआ है और हम केवल समस्त प्रक्रिया को दुहराये जाने की आवश्यकता को समाप्त कर रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : संशोधनों के संबंध में आप का क्या कहना है ?

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं श्री त्यागी का संशोधन स्वीकार कर लूंगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री चौधरी के संशोधन का क्या हुआ ?

†**श्री त्रिदिव कुमार चौधरी** : मैं उस पर आग्रह नहीं करता ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या सभा की अनुमति है ?

†**कुछ माननीय सदस्य** : जी हां ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि प्रस्ताव के पैरा ३ में " by the last day of the first week of the next session " ["अगले अधिवेशन के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन"] शब्दों के स्थान पर "by the first day of the next session" ["अगले अधिवेशन के पहले दिन"] शब्द रखे जायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अब मैं प्रस्ताव को संशोधित रूप में मतदान के लिए रखूंगा ।

प्रश्न यह है :

कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं के ४५ सदस्यों की संयुक्त समिति को सौंपा जाये जिस में इस सभा के ३० अर्थात् श्री ब्रजराज सिंह—कोटा, श्री श० ना० चतुर्वेदी, श्री होमी दाजी, श्री राम धनी दास, श्री धर्मलिंगम्, श्री काशी राम गुप्त, सरदार इकबाल सिंह, श्री मा० ल० जाधव, श्री कडाडी, श्री हरि विष्णु कामत, श्री प० ना० कयाल, श्री नि० रं० लास्कर, श्री हरेकृष्ण महताब, श्री मलाईछामी, श्री मणियंगाडन, श्री विभुधेन्द्र मिश्र, श्री मोहसिन, श्री ही० ना० मुकर्जी, श्री दे० जी० नायक, श्री पाराशर, श्री रामस्वरूप, श्री कृष्णमूर्ति राव, श्री नरसिम्हा रेड्डी, श्रीमती यशोदा रेड्डी, श्री समनानी, श्री रा० प्र० सिंह, डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी, श्री उ० मू० त्रिवेदी, श्री बालगोविन्द वर्मा, श्री अ० कु० सेन और राज्य सभा के १५ सदस्य हों ;

"कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का एक-तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को अगले अधिवशन के प्रथम दिन तक रिपोर्ट देगी;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों पर लागू होने वाले इस सभा के प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप-भेदों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष करें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले १५ सदस्यों के नाम इस सभा को बताये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

केन्द्रीय शिशिक्षुता परिषद् नियमों इत्यादि में मतभेद करने के बारे में प्रस्ताव

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

१. 'यह सभा संकल्प करती है कि शिक्षिक्षु अधिनियम, १९६१ की धारा ३७ की उप-धारा (३) के अनुसरण में, केन्द्रीय शिशिक्षुता परिषद् नियम, १९६२ में जो ४ सितम्बर १९६२ को सभा पटल पर रख गये थे, निम्नलिखित संशोधन किया जाये, अर्थात् :—

नियम ३, खण्ड (ङ) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये अर्थात् :—

"जिनमें से कम से कम ४ व्यक्ति अखिल भारतीय मजदूर संघ संगठनों के प्रतिनिधि होंगे ।"

यह सभा राज्य से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उक्त संकल्प से सहमत हो ।'

†मूल अंग्रेजी में

2427 (Ai) LSD—3.

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

२. "यह सभा संकल्प करती है कि शिशिक्षु अधिनियम, १९६१ की धारा ३७ की उप-धारा (३) के अनुसरण में शिशिक्षुता नियम, १९६२ में जो ४ सितम्बर, १९६२ को सभा पटल पर रखे गये थे, निम्नलिखित संशोधन किया जाये; **अर्थात्** :–

(१) नियम ५ के उप-नियम (२) में, "की शक्ति है" का लोप किया जाये।

(२) नियम ५ के उप-नियम (२) में, "सकता है" के स्थान पर "होगा" रखा जाये।

(३) नियम ७ के उप-नियम (१) में "२५ रु० प्र० मा०" के स्थान पर "३० रु० प्र० मा०" रखा जाये।

(४) नियम ७ के उप-नियम (४) का लोप किया जाये।

(५) नियम ८, उप-नियम (२) के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये, अर्थात् :—

"१० बजे म० प० और ६ बज म० पू० के बीच प्रशिक्षण रत प्रशिक्षु को जितने घण्टे इस प्रकार प्रशिक्षणं पर लगाया जायेगा, उतने घण्ट की समुचित अतिरित वृत्ति दी जायेगी।"

(६) नियम १० के उप-नियम (१) में,—

(क) "चौगुना" के **स्थान पर** "पांच गुना" **रखा जाये**;

(ख) "तीन" के **स्थान पर** "चार" **रखा जाये**; और

(ग) खण्ड (तीन) के **बाद** निम्नलिखित **जोड़ दिया जाये**—

"(चार) सम्बन्धित शिशिक्षु।"

(७) **नियम** १० के उप-नियम (७) में,—

(क) "चौगुना" के **स्थान पर** "पांच गुना' **रखा जाये**;

(ख) "तीन" के **स्थान पर** "चार" **रखा जाये**।

(ग) खण्ड (तीन) के **बाद** निम्नलिखित **जोड़ बिया जाये**,—

"(चार) सम्बन्धित शिशिक्षु।"

(८) नियम १० के उप-नियम (७) में निम्नलिखित उप-नियम अर्थात् :—

(७क) किसी भी अल्पकालीन शिशिक्षु को उसके प्रशिक्षण की अवधि के दौरान ५० रु० प्र० मा० से कम वृत्ति नहीं दी जायेगी।"

यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संकल्प से सहमत हो।"

आप देखेंगे कि जब यह नियम बने थे, उस समय देश के सामने कोई आपातकाल नहीं था। देश में औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता पूरी करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया था। आज जब ये नियम सभा के सामने विचार के लिए आये है, तो देश के सामने एक विशेष स्थिति विद्यमान है और इन संशोधनों पर विचार करते समय हमें इस विशेष स्थिति का पूरा ध्यान रखना चाहिए। हम जानते हैं कि इस अधिनियम के अधीन आने वाले लोग हमारे देश के १५ से २० वर्ष के नवयुवक होंगे और इस आपातकाल में उनका काम देश के भीतर

---

†मूल अंग्रेजी में

उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना कि सीमा पर सैनिकों का काम। ऐसी स्थिति में मुझे कहना है कि इन सब बातों को ध्यान में रख कर हमें इन संशोधनों पर विचार करना है। हमें इन नवयुवकों के लिए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि वे सुविधापूर्वक अपना काम कर सकें और देश की जरूरत को पूरी कर सकें।

अब मैं संशोधनों की बात लेता हूं। इस समय नियम ३ के खण्ड (ङ) में कहा गया है कि "उद्योग और श्रमिकों सम्बन्धी मामलों का विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले ६ से अधिक व्यक्ति" परन्तु अपने संशोधन द्वारा मैं चाहता हूं कि इसके बाद "जिस में से ४ से कम व्यक्ति भारतीय मजदूर संघों के प्रतिनिधि न हों शब्द जोड़ दिये जायें। इसका कारण यह है कि अधिनियम की धारा १८ में कहा गया है कि शिशिक्षु को कर्मचारी नहीं माना जायेगा। भारतीय मजदूर संघ अधिनियम उन पर लागू नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि वे किसी भी मजदूर संघ के सदस्य नहीं बन सकेंगे। अधिनियम में कहा गया है कि यदि किसी शिशिक्षु और प्रबन्ध के बीच कोई विवाद होगा, तो उसकी सुनवाई शिशिक्षु परामर्शदाता के सामने होगी और बाद में उसकी अपील परिषद् के सामने की जा सकेगी। अब आप देखिये कि १५ या २० वर्ष का शिशिक्षु अपने मामले में किस प्रकार अपनी बात को जोरदार शब्दों में कह सकेगा। उधर प्रबन्ध की ओर से उसका श्रमिक सलाहकार या कोई अन्य अधिकारी अपना मामला पेश करेगा इस बात को ध्यान में रखते हुए मेरा निवेदन है कि परिषद् में उद्योग तथा श्रमिकों सम्बन्धी मामलों का विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले ६ व्यक्तियों में कम से कम चार व्यक्ति किसी भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि होने चाहिएं। ये लोग कारखानों में काम की स्थिति आदि के बारे में पर्याप्त अनुभव रखते हैं और परिषद् के सामने अपनी बात को ठीक तरह से रख सकते हैं।

मेरा दूसरा प्रस्ताव नियम ५ (२) के सम्बन्ध में है। इस नियम में कहा गया है कि यदि कोई शिशिक्षु बीमारी के कारण या किसी अन्य कारण से, जो कि उसकी शक्ति के बाहर की बात हो, अपना पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर पाता, तो प्रबन्ध को अधिकार होगा कि वह उसे दुबारा अगले साल उस पाठ्यक्रम को पूरा करने की अनुमति दे दे। परन्तु प्रबन्ध को यह विशेषाधिकार है, अर्थात् वह चाहे तो अनुमति दे और चाहे तो अनुमति न दे। मेरा संशोधन इस आशय का है कि प्रबन्ध के लिए यह अनिवार्य कर दिया जाये कि वह उसे दुबारा पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति अवश्य दे क्योंकि यदि बीमारी के कारण या किसी अन्य कारण से कोई शिशिक्षु पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर पाता, तो इस में उसका क्या दोष है। मेरा दूसरा सुझाव भी इसी प्रकार का है। इसी नियम में आगे यह भी कहा गया है कि यदि कोई शिशिक्षु पाठ्यक्रम पूरा कर लेता है और अन्तिम परीक्षा में फेल हो जाता है, तो उसके लिए भी समय बढ़ाया जा सकता है। मेरा कहना है कि इस मामले में भी "समय बढ़ाया जा सकता है" के स्थान पर "समय बढ़ाया जायेगा" कर दिया जाये।

मेरा दूसरा संशोधन नियम ७ के सम्बन्ध में है। कहा गया है कि शिशिक्षुओं को २५ रु० मासिक के हिसाब से छात्रवृत्ति मिलेगी। मेरा संशोधन है कि इस २५ रु० मासिक की राशि को बढ़ा कर ३० रु० मासिक कर दिया जाये अर्थात् उसे कम से कम उतना तो अवश्य मिले, जितना एक मजदूर को प्रतिदिन मिलता है।

यदि किसी अप्रवीण कामगर को तीन रुपये प्रतिदिन मिलते हैं और एक शिशिक्षु को २५ रुपये मासिक मिलते है तो यह अनुचित होगा। सरकार को इस पर पुनः विचार करके इसे बढ़ाना चाहिए नहीं तो केवल उन्हीं घरानों के लड़के काम सीख सकेंगे जिन की गुजर किसी

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

अन्य साधन से हो सकती हो। और गरीब लड़कों को अप्रवीण कामगरों के तौर पर काम करना पड़ेगा। और वे टेकनिकल प्रशिक्षण प्राप्त करने की कोशिश नहीं करेंगे। इसके इलावा इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो उद्योग शिशिक्षुओं को २५ रुपये मासिक से अधिक दे रहे हैं वे उस में कमी न करें।

मैं नियम ७ के उप-नियम ४ को हटाने का अनुरोध कर रहा हूं। क्योंकि २५ रुपये की अल्प राशि में से कुछ अन्श का भुगतान स्थगित करना अनुचित होगा। नियम ८ के उप-नियम २ में भी संशोधन किया जाना चाहिए जिस में यह कहा गया है कि शिशिक्षुता सलाहकार की पूर्व अनुमति के बिना १० म० प० से ६ म० पू० तक शिक्षार्थी जिस का यह अभिप्राय है कि रात के समय काम करने वालों पर यह लागू नहीं होगा मेरी राय में रात के समय काम करने वाले शिक्षाणार्थियों को अतिरिक्त खर्च दिया जाना चाहिए क्योंकि रात के समय काम करने में अति कठिनाइयां हैं जिसे हर आदमी जानता है।

जहां तक नियम १० का सम्बन्ध है उस के उप-नियम १ में यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि कामगर पूरा समय काम करने के लिए या अल्पकालिक हो, उस के नाम का इंडेक्स कार्ड बना हुआ होना चाहिए जिसमें उस का पूर्ण व्योरा हो। यह उपबन्ध किया गया है कि इस इंडेक्स कार्ड की एक-एक प्रति केन्द्रीय शिशिक्षुता सलाहकार, राज्य शिक्षिशुता सलाहकार और प्रतिष्ठान के मुख्य अधिकारी के पास रहेगी। और मेरा यह सुझाव है कि कार्ड की एक प्रति शिशिक्षु के पास भी रहनी चाहिए जैसे कि वह अन्य कामगरों के पास रहती है।

नियम १० के उप-नियम (७) में यह बात रखना चाहता हूं कि किसी भी अल्पकालिक शिक्षिशु को प्रशिक्षण की अवधि में ५०रुपये मासिक से कम छात्रवृति न दी जाये। जब वह प्रमाणित संस्था या केन्द्र में १८ महीने का प्रशिक्षण ले चुका हो तो उसके बाद शिक्षिशु बना हो तो फिर उसे २५ रुपये के हिसाब से छात्रवृति क्यों दी जाये। ५० रुपये मासिक छात्रवृति की व्यवस्था प्रशिक्षण के दूसरे वर्ष के लिये भी है। सरकार को सावधानीपूर्वक विचार करके नियमों को अन्तिम रूप देना चाहिये ताकि शिशिक्षुओं को जिन की आज देश में बड़ी जरूरत है कोई असुविधा न होने पाये और उनकी सेवाएं हमें जल्दी से जल्दी मिल सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव सभा के सामने है।

श्री बड़े (खडगोन) : इन संशोधनों को प्रस्तुत कर नियमों की त्रुटियों और सरकारी दृष्टिकोण के प्रति ध्यान आकर्षित करने के परियोजन से इन संशोधनों को प्रस्तुत करने के लिये मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त को बधाई देता हूं। केन्द्रीय शिक्षिता परिषद् नियम के अनुसार उस की संगठन में चेयरमैन के अतिरिक्त ४९ व्यक्ति हैं। केन्द्र सरकार के १० प्रतिनिधि होने के साथ उद्योग एवं श्रम सम्बन्धी ज्ञान और अनुभव रखने वाले ६ व्यक्ति उसमें शामिल किये गये हैं। समाजवादी पद्धति का तकाजा तो यह है कि श्रमिक वर्ग के सदस्यों की संख्या उसमें अधिक होनी चाहिये। यह बात भी स्पष्ट नहीं कि इतनी वृहत् परिषद् की क्या आवश्यकता है। मेरी सम्मति में उद्योग और श्रम संबंधी मामलों की विशेष जानकारी और अनुभव रखनेवाले व्यक्तियों की संख्या अधिक होनी चाहिये। जहांतक नियम ७ का सम्बन्ध है २५ रुपये मासिक छात्रवृति अपर्याप्त है। बढ़ती हुई कीमतों के इस युग में यह राशि कम है। पहले दूसरे और तीसरे वर्ष के बीच छात्रवृति की रकम के अन्तर में उचित अनुपात नहीं रखा गया। मक्का की

---

†मूल अंग्रेजी में

रोटी खाने वाले आदिवासियों के लिये भी २५ रुपये कम होते हैं। फिर विशेष उद्योग में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्ति के लिये यह सवर्था कम है। मेरा मत है कि इन शर्तों पर कोई प्रशिक्षणार्थी वहां नहीं आयेगा। यह सच है कि वे अपने पेट भरने के साधन के लिये वहां आते है। लेकिन उन का एक और उद्देश्य है—राष्ट्र की सेवा। यदि सरकार की यह इच्छा है कि प्रशिक्षणार्थी उद्योगों में सम्मिलित हों तो उन्हें "शक्ति रहेगी" शब्दों के स्थान पर "अवधि बढ़ा दी जायगी" शब्द रखना चाहिये। हस्तगत भुगतान के बारे में एक और संशोधन है। मंत्री महोदय का कथन है कि यह पश्चात्गामी न हो कर जो प्रशिक्षाणार्थी पहले से ही इन उद्योगों में काम कर रहे हैं उन पर यह लागू नहीं होगा। यह नियम उचित नहीं है यदि सरकार नवयुवकों को इस दिशा में प्रोत्साहन प्रदान करना चाहती है तो उन्हें इस योजना को आकर्षक बनाना चाहिये।

मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त को पुनः बधाई देते हुये सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इस संकट की बेला में राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुये वे नियमों को अधिक आकर्षित बनायें ताकि प्रशिक्षाणार्थी अधिक संख्या में इस दिशा में प्रवृत हों।

श्री बूटा सिंह (मोगा) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आनरेबल मेम्बर, श्री इन्द्रजीत गुप्त, ने इस हाऊस के सामने जो प्रस्ताव पेश किया है, उस से पता चलता है कि आज इस हाउस का ध्यान देश के उन शिक्षार्थियों की ओर गया है, जो कि महंगाई के इस समय में बहुत थोड़े मुआवजे पर ट्रेनिंग लेते हैं। हमारी सरकार एप्रेन्टिसशिप के इस सिस्टम के जरिये हरिजनों के बच्चों को टेक्निकल ट्रेनिंग दे कर इस देश के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों हरिजनों की स्थिति में सुधार कर सकती थी और हरिजनों की बहुत देर से चली आ रही और बहुत ही गम्भीर समस्या का हल निकाल सकती थी। हरिजनों के बारे में मौजूदा सरकार का जो रवैया है, उसको देख कर मुझे बहुत दुःख होता है। मगर आज उतना ही दुःख मुझे यह देख कर हुआ कि हमारे मित्र, श्री इन्द्रजीत गुप्त, ने जो एक ऐसी पार्टी से संबंधी रखते हैं, जो कि गरीबों और मजदूरों के हितों की रक्षा के लिये काम करने का दावा करती है, अपना प्रस्ताव रखते हुये हरिजनों, शिड्यूल्ड कास्ट्स या दूसरे दलित वर्गो का नाम नहीं लिया।

सेंट्रल एप्रेन्टिसशिप कौंसिल रूल्ज़ के रूल ७ के सब-रूल (१) में जो संशोधन पेश किया गया है, उसके बारे में मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बहुत अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि जो रीम्युनरेशन, माहवारी मुआवजा, दिया जाना है, सिर्फ पच्चीस रुपये से शुरू होता है। इस से पता चलता है कि सरकार की पालिसी, उस की नीति, किस डायरेक्शन को जाती है और उसका ध्यान किस तरफ है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पच्चीस रुपये पर तो सिर्फ वे अमीर आदमी ही अपने बच्चों को ट्रेनिंग के लिये भेज सकते हैं जो कि उनकी पोशाक, खुराक वगरह दूसरी जरूरियात के लिये खुद खर्च कर सकते है। मैं यकीन के साथ यह कह सकता हूं कि कोई भी गरीब परिवार, और खासकर कोई भी हरिजन परिवार, ट्रेनिंग के दौरान में अपने बच्चों पर कुछ खर्च करने की स्थिति में नहीं होता है, क्योंकि उन के पास कोई पूंजी या रुपया न होने की वजह से वे इस बात पर डिपेंड, निर्भर, करते ह कि उनके बच्चे ट्रेनिंग के दौरान में मां-बाप के लिये कुछ कमा कर लायें। हम देखते ह कि पच्चीस रुपये से तीस रुपये करने की मांग वे करते हैं, जो कि अपने आपको गरीबों के हितैषी कहते है। मैं चाहता हूं कि इस रकम को कम से कम पचास रुपये तक बढ़ाया जाये, जिससे गरीबों के बच्चे, और खासकर हरिजनों के बच्चे, इस तरफ आकर्षित हो कर ट्रेनिंग हासिल कर सकें।

रूल ३ की क्लाज़ (ई) में यह लिखा हुआ है : "**नाट मोर दैन सिक्स पर्सन्ज हैविंग स्पेशल नालेज एण्ड एक्सपीरियंस आन मैटर्ज रीलेटिंग टु इण्डस्ट्री एण्ड लेबर**"।" माननीय सदस्य ने यह संशोधन

[श्री बूटा सिंह]

दिया है कि उनमें से कम से कम चार ऐसे आदमी होने चाहिये, जो कि आल-इन्डिया ट्रेड यूनियन आरगेनाइजेशन्ज के प्रतिनिधि हों। मगर मैं इस से मुत्तफिक नहीं हूं, क्योंकि शिक्षार्थी को राजनीति से जितना दूर रखा जाय, उतना ही अच्छा है। न सिर्फ इंडस्ट्रीज के लिये यह अच्छा है, सियासत बल्कि शिक्षार्थी के अपने जीवन के लिये यह अच्छा है, क्योंकि ट्रेड यूनियन्ज के अपने माटिव होते है उनको रिप्रिजेंटेशन देने का मतलब यह होता है कि जो स्किलंड वर्कर्ज है, जो ट्रेंड वर्कर्ज हैं, वे अपने-अपने यूनिट्स बना लें और इसी तरह से एप्रेंटेसिस में अपने-अपने यूनिट्स बन जाय। इसका खतरा यह हो सकता है कि जो ट्रेनीज है, वे ट्रेनिंग खत्म होने से पहले ही एक या दो सैल्ज में बट जायेंगे। सरकार को नहीं चाहिय कि वह ऐसी कोई नीति धारण करे। यह जो संशोधन है इसके बजाय यह होना चाहिये कि आल इंडिया यूनिट्स को रिप्रिजेंटेशन दिया जाये और उसमें यह हो कि चार आदमी लिये जायें, जो कि शिक्षार्थियों में से हों और इन चार में से कम-अज़-कम दो शैड्यूल्ड कास्ट्स और अदर बैक्वर्ड क्लासिस के नुमाइंदे हों ताकि वे देख सकें कि इन जातियों के, इन पिछड़े हुये लोगों के जो एप्रैंटसिस हैं, उनके जो ट्रेनीज़ हैं, उनक इंटिरेस्ट, उनके हकूक महफूज हैं या नहीं हैं।

दूसरी बात जो संशोधन में पेश की गई है उसमें कहा गया है कि जो अधिकार है, जो **'हैव दी पावर' टू'** शब्द है, इनको ओमिट कर दिया जाय और साथ ही साथ "में" के स्थान पर "शैल" रख दिया जाये। सरकारी जो कारखाने है, पब्लिक सैक्टर में जो कारखाने है, जिन पर सरकार का कन्ट्रोल है, उन में तो यह बात ठीक हो सकती है, लेकिन जो प्राइवेट एंटरप्राइज हैं, जो प्राइवेट फैक्ट्रीज हैं, उनमें जो काम करते हैं, उनके बार में यह जो संशोधन है, इसको परवान कर ही दिया जाना चाहिये।

†**श्री काशीनाथ पांडे** (हाटा) : मेरा अनुमान है कि तथ्यों से भली प्रकार अवगत न होनें के कारण ही श्री गुप्त ने उक्त संशोधन रक्खा है। शिक्षिता का प्रतिनिधित्व केन्द्रीय संगठनों द्वारा किया जा रहा है। इन नियमों के बनाने के पहले ही संगठनों से परामर्श कर लिया गया था। जहां तक छात्रवृत्ति की रकम का संबंध है जो बातें सभा में कहीं गई हैं वे सर्वदा औचित संगत है। २५ रुपये की राशि अपर्याप्त है। इन नियमों के संबंध में श्रम मंत्रालय ने एक कांफ्रेंस का आयोजन किया था उस समय मैंनें सुझाव दिया था कि यह रकम बढ़ा गर ५० रुपये कर दी जाये। केवल निर्धन व्यक्ति ही प्रशिक्षिण के लिये वहां जाते हैं और यदि उनके लिये दोपहर के भोजन की व्यवस्था कर दी जाये तो उन्हें काफी सहायता मिलेगी। इस प्रस्ताव पर गंभीर रूप से विचार करने की आवश्यकता है। जहां तक औद्यौगिक प्रशिक्षिण संस्था से निकले हुए व्यक्तियों को अदायगी का संबंध है इस की पूर्ती पहलें की जा चुकी है। वे १८ महीन वहां ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके है तथा आगामी वर्ष ट्रेनिंग के दौरान वे ५० रुपये पाने के अधिकारी हैं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस प्रश्न का स्पष्टीकरण करेंगे।

मुझ केवल एक बात के बार में संदेह है योजना में यह बताया गया है कि छात्रवृत्ति की दर २५ रुपये से बढ़ा कर ५० रुपये कर दी जायेगी। कदाचित यह इस आधार पर किया गया है कि दो वर्ष की इस अवधि में वे अनुभव प्राप्त कर लेंगे और यथार्थ कार्य आरम्भ कर देंगे। स लिये यदि उनके काम को ध्यान में रखते हुये क्षात्रवृति की मौजूदा दर निर्धारित की गई है तो यह सर्वथा अप्राप्त है। इसमें कोई भी उपबन्ध नहीं है कि तीन वर्ष की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद प्रशिक्षार्थी को किसी कारखाने में लगाया जा सकेगा या नहीं। मुझे उम्मीद है कि मंत्रालय इस बारे में कोई व्यवस्था करेगा। ताकि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद इन्हें उचित वेतन पर उचित काम दिया जा सकेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कछवाय** (देवास): उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव रखा गया है, इसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं। इस प्रस्ताव को यहां रखने के लिए मैं माननीय श्री इंद्रजीत गुप्त जी को बधाई देता हूं।

आज सारे देश में जो स्थिति पैदा हो गई है, जो वातावरण छा गया है, उसको देखते हुए हरिजन भाइयों तथा पिछड़े हुए भाइयों को ऊपर लाने के सम्बन्ध में, ऊपर उठाने के सम्बन्ध में जो यह प्रस्ताव रखा गया है, यह सराहनीय है और इसका समर्थन किया जाना चाहिये। आज के समय में, हरिजनों के जो बालक होते हैं, उनको शिक्षा देने के लिए जो तनख्वाह देने की बात रखी गई है, वह आज जो हालत है, उसको देखते हुए बहुत कम है। आज हरिजन भाई या हरिजन मजदूर या दूसरे मजदूर कहीं से भी सर्विस करके पच्चीस रुपये बड़ी आसानी से कमा सकते हैं, बड़े शौक से कमा सकते हैं। ऐसे समय में उनकी जो तनख्वाह है, उनका जो प्राइज है, इसको बढ़ाना बहुत जरूरी है और मैं चाहता हूं कि इसको पच्चीस से बढ़ा कर पचास कर दिया जाए। अगर शुरु से ही ऐसा कर दिया जाए तो मैं समझता हूं ज्यादा अच्छा होगा। आज मजदूर का बालक यह सोचता है और मजदूर भी यही सोचता है कि उसका बच्चा जब होशियार हो जायेगा तब उसको ज्यादा तन्ख्वाह मिलनी चाहिये। चूंकि उसको बहुत कम तन्ख्वाह मिलती है इसलिये उसके होशियार होते ही वह उसको किसी होटल में लगाता है या कहीं और लगाता है ताकि वह कहीं से चालीस या पचास रुपये कमा कर ला सके। वह स्टेशन पर कुली का काम करके या मोटर गाड़ी पर काम करके कहीं से भी इतने रुपये ला सकता है। अगर आज उनको प्रोत्साहन देना है तो हम को जो शुरुआत का वेतन है उसको ज्यादा करना पड़ेगा। आज की स्थिति को देखते हुए, आज की मंहगाई को देखते हुए, २५ रु० बहुत कम हैं। आजकल के समय में मुझे अच्छी तरह पता है क्योंकि मैं मजदूर क्षेत्रों में काम करता हूं और मजदूर होने के नाते मैं जानता हूं कि मजदूरों की हालत क्या है। जैसा मैं ने कहा मजदूर आज यह सोचता है कि जब मेरा बच्चा होशियार हो जायेगा तो उस को ऐसी जगह वह लगायेगा जहां पर काम करके उसके बुढ़ापे में वह परिवार के लिये एक सहारा बने। हर तरह से कोशिश करके वह और जगहों पर अपने बच्चे को लगवाता है। या तो मिल में लगवाता है या फिर चपरासी ही बना देता है ताकि उसको अच्छी तन्ख्वाह मिल सके और वह परिवार को चलाने के लिये ज्यादा पैसा ला सके। यदि शासन को इस ओर कुछ ध्यान देना है और उन लोगों को आगे बढ़ाना है तो उसके लिये यह आवश्यक है कि जो ऐसे लोगों की शुरुआत की तन्ख्वाह रक्खी गई है उसको और बढ़ावे। अगर हमने उन लोगों के वेतन को बढ़ा दिया तो इससे उन लोगों को भी लाभ पहुंचेगा, उन लोगों के बच्चों को लाभ पहुंचेगा और उसके साथ साथ हमारे देश का भी उत्थान होगा, हमारे उद्योग तरक्की पर जायेंगे और आज जो पिछड़ी जातियां हैं सारे देश में हम उनको भी बहुत जल्दी आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे।

†**श्रम और रोजगार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री रा० कि० मालवीय)**: श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा प्रस्तुत दो संकल्पों पर विचार अभिव्यक्त करने के पूर्व मैं यह निवेदन कर दूं कि शिशिक्षु प्रशिक्षण अधिनियम तथा अन्य समस्त श्रम कानून बड़े परिश्रम के साथ विभिन्न त्रिदलीय समितियों द्वारा तैयार किये गये हैं। सभा को मालूम है कि प्रत्येक उद्योग के लिये एक समिति है और वेतन, सेवा की अवस्थायें आदि के संबंध में महत्वपूर्ण

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रा० कि० मालवीय]

निर्णय इन त्रिदलीय सम्मेलनों में परामर्श एवं चर्चा के पश्चात् किये जाते हैं। इन सम्मेलनों में ही औद्योगिक समझौता, वेतन बोर्ड आदि के बारे में निर्णय किये जाते हैं। १६ और १७ अगस्त को दिल्ली में सब संबंधित हितों--सरकार, विशेषज्ञों, प्रबन्धकों और श्रमिकों के प्रतिनिधि आमंत्रित किये गये थे और इस सम्मेलन में किये गये निर्णय के आधार पर ही यह नियम बनाये गये। यद्यपि ये नियम बाद में विधि मंत्रालय के पास भेजे जाते हैं कि सामान्य रूपभेद के पश्चात् लगभग उसी रूप में वे रहते हैं। यह सब निर्णय सर्वसम्मत हैं। अन्य देशों में भी औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं किन्तु वे सब स्वेच्छापूर्वक किये जा रहे हैं। भारत में पहली बार कानून का सहारा लेकर इस प्रकार की योजना आरम्भ कर रहे हैं। इस विशाल कार्यक्रम का आरम्भ करते हुए सरकार को आवश्यक धन राशि समस्या की विशालता आदि पर नियम बनाते समय विचार करना पड़ता है। नियम काफी सोच विचार कर बनाये गये हैं फिर भी सुधार की गुंजायश तो रहती ही है। यदि श्री गुप्त ने उस संस्था के सामने ये प्रश्न उठाये होते और उसमें इन संशोधनों पर विचार किया होता तो अच्छा होता।

अब मैं संशोधनों की बात लूंगा। नियम ३ के खण्ड (ङ) सम्बन्धी संशोधन में कहा गया है कि उनमें से कम से कम चार व्यक्ति अखिल भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि हों। इस सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि मूल विधेयक में छः स्थानों का उपबन्ध है जिसमें से तीन उद्योग सम्बन्धी मामलों का ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों के लिये हैं और तीन अखिल भारतीय मजदूर संघों के लिये। ताकि दोनों पक्षों के हित सुरक्षित रहें और इस प्रकार अखिल भारतीय मजदूर संघ और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस और हिन्दुस्तान मजदूर संघ को अपने प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार दिया गया।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : माननीय उपमंत्री ने बताया कि छः स्थानों में से तीन उद्योग के लिये हैं और तीन मजदूर संघों के लिये। इसे कानून का रूप देने में क्या अड़चन है? क्या सरकार ने भविष्य के लिये इसे परम्परा के रूप में मान लिया है।

†**श्री रा० कि० मालवीय** : मैं माननीय सदस्य को जानकारी दे रहा हूं कि इस समय उक्त तीनों मजदूर संघों के ३ प्रतिनिधि उसमें हैं।

जहां तक संशोधन संख्या २ का सम्बन्ध है ध्यान रहे कि शिशिक्षु कर्मचारी नहीं होते बल्कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले होते हैं। उनका कर्तव्य है कि वे पूरा परिश्रम करके अपना पाठ्यक्रम तैयार करें और परीक्षा में उत्तीर्ण हों। फिर भी यदि कोई ऐसे कारण हैं जो शिशिक्षु की शक्ति के बाहर हो, वह पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर पाता या परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता तो उसके प्रशिक्षण की अवधि बढ़ाने का उपबन्ध है। यह उपबन्ध आवश्यक है क्योंकि इस के बिना शिशिक्षु उतनी ईमानदारी से अपना काम नहीं करेंगे जितनी ईमानदारी से उन्हें करना चाहिये। फिर भी यदि अनुभव किया गया कि प्रबन्धक इस अधिकार का ठीक प्रयोग नहीं करते तो नियमों में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा। अतः मैं श्री गुप्त का संशोधनस्वीकार नहीं कर सकता।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** (आनन्द) : क्या माननीय मंत्री छात्रवृत्ति की राशि को २५ रुपये से बढ़ाकर ५० रु० करने वाला संशोधन स्वीकार करेंगे?

†**श्री रा० कि० मालवीय** : इस मामले पर भी भली प्रकार विचार कर लिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री गुप्त अपने प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं ?

†श्री इन्द्रजीत गुप्त : जी हां।

प्रस्ताव सभा की अनुमति से वापस लिये गये

अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों को उचित स्तर पर बनाये रखने के बारे में प्रस्ताव

†उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों को उचित स्तर पर बनाये रखने के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ करेगी।

†श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता—दक्षिण पश्चिम): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों को उचित स्तर पर बनाये रखने संबंधी उपायों के बारे में योजना और श्रम तथा रोजगार मंत्री द्वारा १० नवम्बर, १९६२ को सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य पर विचार करती है।"

मंत्री महोदय ने १० नवम्बर, १९६२ को अपने वक्तव्य में जो उपाय बताये हैं उनमें से अधिकांश का सभी सदस्यों ने स्वागत किया है। क्योंकि वर्तमान स्थिति में कीमतों को उचित स्तर पर बनाये रखना न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से ही आवश्यक है अपितु वह देश के नैतिक स्तर को भी बनाये रखने के लिये आवश्यक है। इस बात से भी सहमत होंगे कि यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो गया है।

जहां तक सरकार के ११ नवम्बर के वक्तव्य में प्रस्तावना का संबंध है, वह कोई बहुत दूरगामी नहीं है। वक्तव्य में तदर्थ उपायों का वर्णन है। परन्तु उसमें अनेक मूल आर्थिक तथ्यों की उपेक्षा की गयी है जो देश में क्रियाशील हैं तथा जो अंत में देश में मुद्रास्फीति और अन्य प्रवृत्तियों को उत्पन्न कर सकते हैं।

अगले बजट में हमें उस परिस्थिति का सामना हो सकता है जिसमें तीसरी योजना की बढ़ी हुई आवश्यकताओं के साथ साथ प्रतिरक्षा की बढ़ी हुई आवश्यकताओं के लिये उपबंध करना होगा। प्रत्याशित भारी करारोपण तथा घाटे की अर्थव्यवस्था के फलस्वरूप जहां तक कम आय या निश्चित आय वाले वर्गों का संबंध है, उनके लिये असहनीय मुद्रास्फीति का दवाब पड़ेगा। हमें एक गम्भीर परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा। इस समस्या के संबंध में अधूरी कार्यवाही से काम नहीं चलेगा। इस पर अधिक गम्भीरता से विचार करना होगा।

मिट्टी के तेल के बारे में दिल्ली में जो स्थिति हुई है उससे सरकार की आंखें खुल जानी चाहियें। कागज आदि इमारती सामान तथा विलास वस्तुओं के दाम चढ़ चुके हैं। कपड़े के माल को मुक्त नहीं किया जा रहा है। सरकार देखे कि एकत्रित माल को उपभोक्ताओं के लिये उचित दामों की दुकानों के माध्यम से मुक्त किया जाय।

पटसन के बारे में आतंकवश बिक्री हुई है। मूल्य आर्थिक दृष्टि से लाभ स्तर से नीचे आ गये हैं। यह तस्वीर का दूसरा रुख है। सरकार बताये कि न केवल चढ़ते हुए दामों की

---

†मूल अंग्रेजी में

रोकथाम के लिये ही परन्तु उन विषयों में जहां आवश्यक हो, मूल्यों को एक स्तर से नीचे गिरने से रोकने के लिये वह क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है।

सहकारी स्टोर खोलने से यह समस्या पूर्णतया हल नहीं होगी। सहकारी स्टोर बाजार पर कोई असर नहीं डालते हैं वरन् बाजार का ही उन पर असर होता है। वे मूल्यों को स्थिर रखने में समर्थ नहीं होंगे जब तक कि उनको उचित मूल्य पर पर्याप्त संभरण न किया जा सके। हमें समस्त देश में इस प्रकार के स्टोर खोलने चाहिये। इसके अतिरिक्त ५०० या १००० परिवारों के लिये एक दुकान की दर से उचित मूल्य की दुकान खोली जानी चाहिये।

सरकार को सभी आवश्यक वस्तुओं की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। सहकारी स्टोर खोलने से यह समस्या पूर्णतः हल नहीं होगी। सहकारी स्टोर खोल देने का बाजार दरों पर कुछ भी प्रभाव नहीं होता। इन स्टोरों को भी बाजार के पीछे चलना पड़ता है। इनसे मूल्य स्थिर नहीं रह पाते, अतः जरूरत इस बात की है कि इन स्टोरों को उचित मूल्य पर पर्याप्त सम्भरण किया जाय। देश भर में इस प्रकार के स्टोर खोले जाने चाहिएं। इसके साथ ही यह भी व्यवस्था होनी चाहिए कि ५०० अथवा १००० परिवारों के लिए एक दुकान की दर से उचित मूल्य की दुकानें खोली जानी चाहिएं।

चीजों के विवरण पर रोक लगाई जा सकती है। सब नहीं तो सरकार को आवश्यक वस्तुओं के स्टाक को आवश्यकतानुसार सुनियोजित ढंग से वितरण करने के लिए रोक लेना चाहिए। खाद्यान्नों पर कर समाप्त किये जाने चाहिएं। इसके अतिरिक्त खाद्यान्न पर बकों द्वारा पेशगी देना सर्वथा बन्द कर देना चाहिए। इसी संदर्भ में मेरा यह भी आग्रह है कि कृषि उत्पादों के न्यूनतम मूल्य निर्धारित कर देने चाहिएं। सरकार को इस बात का ध्यान रखना होगा कि यदि जरूरत हुई तो मूल्यों को स्थिर रखने के लिए सरकार तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करेगी।

इसी उल्लेख में सरकार का यह भी कर्त्तव्य है कि वह सभा को यह बताये कि वह मछली, अंडों और फलों जैसे सहायक खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रही हैं। साथ ही व्यापारी वर्ग की कार्यवाहियों के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। मेरा विचार यह है कि अनुचित कार्रवाईयों को रोकने के लिए गोदामों की उचित निरीक्षण व्यवस्था होनी चाहिए। यह भी व्यापार की अनुचित कार्रवाइयों के संदिग्ध अथवा दोषी व्यक्तियों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए मूल्य न्यायालय स्थापित किये जाने चाहिएं। सरकार को इस मामले में सदन का ही नहीं सारे देश का सहयोग प्राप्त होगा।

†**सभापति महोदय**: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री राम सेवक यादव**: मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री दे० शि० पाटिल**: मैं अपना संशोधन संख्या ४ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्रीमती रेणुका राय**: मैं अपना संशोधन संख्या ५ प्रस्तुत करती हूं।

†**श्री शिवमूर्ति स्वामी**: मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री विभूति मिश्र**: मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० पं० शा० देशमुख** (अमरावती) : आज हम संसद् के सत्र के अन्तिम दिन इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, यह बड़ी बात है प्रस्तावक महोदय ने अपनी बात बहुत ही सुन्दर ढंग से प्रस्तुत की है । परन्तु मेरा निवेदन है कि सरकार के लिये मूल्य स्थिर रखना आसान काम नहीं है। विशेषकर हमारे जैसे विशाल देश में जहां कि एक स्थान से दूसरे की परिस्थितियां भिन्न हैं और प्रशासन अत्यधिक कमजोर हैं । यह अच्छा है कि सरकार ने किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित करने कंट्रोल लागू करने में जल्दबाजी नहीं की क्योंकि जब कभी उनके लिये प्रयत्न किया गया है उससे चोर बाजारी को बढ़ावा मिला है ।

सरकार उपभोक्ता सहकारी समितियां बना रही है । अभी तक ऐसी संस्थाओं को सरकार से कोई सहायता नहीं मिली थी, परन्तु अब एकाएक उनके लिये बहुत बड़ी राशियां रखी जा रही हैं । सहकारी स्वेच्छा आधार पर होंगे । जिस ढंग से सरकार उन्हें लाना चाहती है, उसमें वह सफल नहीं होगी । बहुत लम्बे चौड़े दावों के बावजूद सरकार सहकारी संस्थाओं को कोई प्रोत्साहन नहीं दे रही बल्कि कुछ स्थानों पर प्रशासन द्वारा निश्चित हानि की गई है ।

सरकार को कृषि मूल्यों के संबंध में न्यूनतम मूल्य निश्चित करने चाहियें । केवल इतनी ही नहीं कि मार्केट में स्तर से नीचे मूल्यों के गिर जाने पर ही वह कोई क्रियाकारी पग उठाए। वस्त्र आयुक्त कृषकों या देश के हितों की रक्षा नहीं करता है । सरकार को उपभोक्ता का रक्षण करना चाहिये तथा उसमें उत्पादक के हितों का त्याग न किया जाये ।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : हमारे देश में कीमतें वैसे भी बढ़ रही थी परन्तु संकटकालीन स्थिति में ये और बढ़ गयी है । १९३९ की अनुक्रमणिका से ४ प्रतिशत बढ़ गयी है । मूल्यों का सम्बन्ध हमारे योजनाओं से है । दो योजनाओं में वृद्धि की वृत्ति देखी गयी है । यह हमारा दुर्भाग्य है कि उन्हें स्थिर रखने के लिए कोई गम्भीर अथवा ठोस पग नहीं उठाये गये तथा न ही उन्हें अपने आयोजन से सम्बद्ध किया गया है ।

एक विकासशील अर्थ-व्यवस्था में घाटे के आयोजन का होना अनिवार्य है । परन्तु चूंकि हमें युद्ध के संकट का सामना है, हमें देखना चाहिये कि मुद्रास्फीति से हमारी अर्थ-व्यवस्था अस्त-व्यस्त न हो जाय । आपात में मद्यनिषेध को अस्थाई रूप से स्थगित कर दिया जाये । कर संग्रह व्यवस्था को उस स्तर तक लाया जाय जिसमें करापवंचन संभव न हो सकें। यदि आवश्यक हो तो मुद्रास्फीति को रोकने के लिये नये कर लगाये जायें ।

हमें अपनी अर्थ-व्यवस्था को सुनियोजित करना चाहिये । योजना में कतर ब्योन्त की जाय । प्राथमिकताओं को फिर से रूप दिया जाये । सरकार को आवश्यक वस्तुओं का बफर स्टाक बनाना चाहिये । सरकार ने जमाखोरों और मुनाफाखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की जो घोषणा की है उसके अनुसरण में ठोस कदम भी उठाये जाने चाहियें । समाजविरोधी तत्वों को जनता के दुर्भाग्य पर नहीं पनपने देना चाहिये ।

†**श्रीमती रेणुका राय** (मालदा) : आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिए हमें अपनी आर्थिक प्रणाली को मजबूत बनाना है ।

श्री नन्दा जी का वक्तव्य पढ़ने के बाद यह महसूस होता है कि काफी हद तक हमें उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में गैर-सरकारी संस्थाओं पर निर्भर रहना है । मैं यह भी कहती हूं कि उद्योग और व्यापार क्षेत्र देश का सहयोग नहीं दे रहे हैं । परन्तु मुनाफखोरों जैसे समाजविरोधी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती रेणुका राय]

तत्वों की कार्रवाईयों का दमन गैर-सरकारी संगठनों पर भी छोड़ना चाहिए। उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त शक्तियां हैं । सरकार को उन शक्तियों का भली प्रकार और शीघ्र प्रयोग करना चाहिए । अग्रिम क्षेत्रों में ऐसी अधिक सम्भावना है ।

हमें इस मामले की दूसरे देशों से भी शिक्षा लेनी चाहिए। गत महायुद्ध की वस्तुओं की उत्पादन संभरण और वितरण को विनियमित करने के लिए ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों ने भी बड़े कदम उठाए थे । ऐसे विनियम लागू करना अनुचित नहीं होगा, क्योंकि उनका उद्देश्य मनुष्य द्वारा निर्मित अकाल को दूर करना है । यह कदम थोड़ी देर के लिए नहीं है । यह तो लम्बा कदम है, क्योंकि युद्ध लम्बा होगा ।

जो वस्तुएं युद्ध के लिए आवश्यक हैं हमें उनका संरक्षण करना चाहिए । हमें पैट्रोल, सीमेंट, लोहा और कोयला जैसी आवश्यक वस्तुओं का संरक्षण अभी से आरम्भ करना चाहिए।

सरकार को उद्योगों की बेकार क्षमता की युद्ध को तैयारी में लगाने की ओर भी ध्यान देना चाहिए ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

योजना को पुनः निरीक्षण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षा जैसी मदों की कटौती नहीं की जानी चाहिये । ब्रिटेन ने युद्ध में अपने बच्चों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया था । आज के बच्चों पर देश का भविष्य निर्भर है। अतः सारी समस्या पर इस दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए ।

मेरा संशोधन यह चाहता है कि "राष्ट्रविरोधी" शब्दों के स्थान पर "समाज विरोधी" शब्द होने चाहिएं । आशा है कि मंत्री महोदय इसे स्वीकार करेंगे।

हम अपने कृषि को बढ़ाना चाहते हैं । हम चाहते हैं कि उपभोक्ताओं, कृषकों और काश्तकारों की हितों की रक्षा की जाए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस चर्चा में भाग लेने वाले अभी ३० और नाम हैं । अब सभा की राय है कि यह चर्चा अगले सत्र तक स्थगित कर दी जाए अर्थात २१ जनवरी, १९६३ को आरम्भ होने वाले सत्र तक ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** । आज कितनी देर बैठेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : हम अभी उठ रहे हैं । यह आखिरी दिन है । यही सभा की इच्छा है ।

माननीय सदस्यों ने जो प्रतिज्ञा की है आशा है कि वे उसे याद रखेंगे । वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाएंगे । वहां उन्होंने काफी काम करना है । असैनिक रक्षा के लिए और लोगों को सैनिक साहस कायम रखने के लिए काफी काम की आवश्यकता है ।

यह सत्र बहुत चिरस्मरणीय सत्र है । हमने आपातकालीन स्थिति में जो एकता दिखाई है वह इतिहास में महत्वपूर्ण बात समझी जाएगी । आशा है कि आप इस एकता को नहीं भूलेंगे ।

आशा है कि सदस्य देश की अधिकतर विश्वास से सेवा करने की भावना को ले कर वापिस आएंगे ।

तत्पश्चात् लोक-सभा सोमवार, २१ जनवरी, १९६३ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

मंगलवार, ११ दिसम्बर, १९६२

२० अग्रहायण, १८८४ (शक)

विषय **पृष्ठ**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अल्प सूचना
प्रश्न संख्या

१३	कांगो में भारतीय फौज . . .	२१०५—०७
१४	पैकिंग रेडियो के प्रसारण	२१०७—१०
१५	सैनिक अस्पतालों में जख्मी और घायल जवान	२१११—१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित
प्रश्न संख्या

८५८	पेकिंग और ल्हासा से भारतीय राजनयिक अधिकारियों के परिवारों का वापस आना	२११३–१४
८५९	महाराष्ट्र में कपास का भाव	२११४
८६०	औद्योगिक सन्धि संकल्प की क्रियान्विति . . .	२११४
८६१	केरल कृषि सम्बन्ध अधिनियम	२११५
८६२	युद्ध जोखिम के लिए बीमा योजना	२११५
८६३	एन० सी० डी० सी० कोयला खानों में वैगनों का कम भरा जाना .	२११६
८६४	सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु .	२११६
८६५	आसाम में चार भांडार का इकट्ठा होना . .	२११६–१७
८६६	मद्य-निषेध .	२११७
८६७	मद्य निषेध	२११७
८६८	आसाम के केन्द्र सरकार के कर्मचारियों का निष्कासन . .	२११७
८६९	राष्ट्रीय रक्षा कोष	२११८
८७०	कोलम्बो जाने वाला अफ्रेशियाई एकता संघ का प्रतिनिधिमण्डल .	२११८
८७१	गैर सरकारी व्यक्तियों द्वारा लंका का दौरा . .	२११८–१९
८७२	एमरजेंसी कमीशन के लिए आयु सीमा . .	२११९

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	२१२१—२३
श्री दे० शि० पाटिल ने कपास के मूल्यों में कथित गिरावट और कपास के उत्पादन पर इसके प्रभाव की ओर खाद्य तथा कृषि मन्त्री का ध्यान दिलाया ।	
खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२१२३–२४

(१) भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, १८८५ की धारा ७ की उप-धारा (५) के अन्तर्गत दिनांक २४ नवम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५६८ में प्रकाशित भारतीय टेलीग्राफ (बाहरवां संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति ।

(२) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) (क) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत, वर्ष १९६१–६२ के लिये हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची की वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उक्त कारपोरेशन के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) (क) कम्पनीज़ अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उपधारा (१) के अन्तर्गत वर्ष १९६१–६२ के लिये भारत के फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली की वार्षिक रिपोर्ट लेखा-परीक्षित लेखे और उस पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उक्त कारपोरेशन के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(३) चाय अधिनियम, १९५३ की धारा ४९ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत, दिनांक २४ नवम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५५८ में प्रकाशित चाय (दूसरा संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति ।

(४) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की वर्ष १९६०–६१ की वार्षिक रिपोर्ट जो २३ नवम्बर, १९६२ को टेबल पर रखी गई थी, के अध्याय दो के पैरा २. ११ में निर्दिष्ट विवरण—१ की एक प्रति ।

(५) भारतीय विमान अधिनियम, १९३४ की धारा १४-क के अन्तर्गत दिनांक २४ नवम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५६७ में प्रकाशित भारतीय विमान (संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र—(क्रमशः)

विषय	पृष्ठ

(६) जून, १९६२ में जेनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के ४६ वें अधिवेशन में भाग लेने वाले भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट की एक प्रति ।

(७) न्यूनतम मजूरी अधिनियम, १९४८ की धारा ३८ के अन्तर्गत दिनांक २४ नवम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३५५२ की एक प्रति ।

(८) गैर-सरकारी सदस्यों के बिलों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की तीसरे अधिवेशन में हुई (नवीं से बारहवीं) बैठकों के कार्यवाही सारांश ।

(९) याचिका समिति की तीसरे अधिवेशन में हुई दूसरी बैठक के कार्यवाही-सारांश ।

राज्य सभा से सन्देश २१२५

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना दी :—

(एक) कि राज्य सभा में भारत की प्रतिरक्षा विधेयक, १९६२ से, जो लोक-सभा द्वारा २८ नवम्बर, १९६२ को पास किया गया था, बिना किसी संशोधन के सहमत हो गई है ।

(दो) कि राज्य सभा को लोक-सभा द्वारा ५ दिसम्बर, १९६२ को पास किये गये करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १९६२ के बारे में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ २१२६—३७

८ दिसम्बर, १९६२ को प्रस्तुत किये गये संविधान (पन्द्रहवां संशोधन) विधेयक, १९६२ को एक संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव और तत्सम्बन्धी संशोधनों पर चर्चा जारी रही। विधि मन्त्री (श्री अ० कु० सेन) ने चर्चा का उत्तर दिया। श्री त्रिदिव कुमार चौधरी द्वारा विधेयक पर राय जानने के लिये उसे परिचालित करने का संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया। श्री त्यागी का संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रस्ताव, श्री त्यागी के संशोधन से संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ ।

केन्द्रीय शिशिक्षुता परिषद् नियम, १९६२ और शिशिक्षुता नियम, १९६२ में रूप भेद के लिये प्रस्ताव . . . . २१३७—४५

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने केन्द्रीय शिशिक्षुता परिषद् नियम, १९६२ और शिशिक्षुता नियम, १९६२ में रूपभेद करने के लिये दो संशोधन प्रस्तुत किये। चर्चा के पश्चात् दोनों संशोधन सभा की अनुमति से वापस ले लिये गये।

अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों को उचित स्तर पर बनाये रखने के बारे में प्रस्ताव २१४५—४८

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने १० नवम्बर, १९६२ को सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य के सम्बन्ध में अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों को उचित स्तर पर बनाये रखने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया। प्रस्ताव पर पांच संशोधन प्रस्तुत किये गये चर्चा समाप्त नहीं हुई।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार २१, जनवरी, १९६३ के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिये स्थगित हुई ।

तीसरी लोकसभा के तृतीय सत्र की कार्यवाही का संक्षेप

१. सत्र की अवधि	८ नवम्बर से ११ दिस० १९६२
२. बैठकों की संख्या	२६
३. बैठकों के कुल घंटों की संख्या	१६२ घंटे १५ मिनट
४. मत विभाजनों की संख्या	१४
५. सरकारी विधेयक :—	
(१) सत्र के आरम्भ में विचाराधीन	९
(२) पुरस्थापित किये गये	२७
(३) राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखे गये	४
(४) प्रवर समिति को सौंपे गये	१
(५) संयुक्त समिति को सौंपे गये	१
(६) प्रवर समिति द्वारा भेजे गये	१
(७) संयुक्त समिति द्वारा भेजे गये	१
(८) पारित किये गये	२५
(९) राज्य सभा द्वारा बिना संशोधन के लौटाये गये	७
(१०) राज्य सभा द्वारा संशोधन सहित लौटाये गये	कोई नहीं
(११) सत्र की समाप्ति पर विचाराधीन	१५
६. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक :—	
(१) सत्र के आरम्भ में विचाराधीन	३९
(२) पुरस्थापित किये गये	६
(३) जिन पर चर्चा हुई	५
(४) वापस लिये गये	४
(५) अस्वीकृत	१
(६) पारित	कोई नहीं
(७) जिन पर आंशिक रूप से चर्चा की गयी	कोई नहीं
(८) चर्चा निलम्बित की गयी	कोई नहीं
(९) सत्र की समाप्ति पर विचाराधीन	४०
७. नियम १९३ के अन्तर्गत की गयी चर्चायें (अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले)	
(१) पूर्व सूचनायें प्राप्त हुईं	१७
(२) जिन पर चर्चा हुई	कोई नहीं

८. नियम १९७ के अन्तर्गत दिये गये वक्तव्य (अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना)

(१) पूर्व सूचनायें प्राप्त हुई . . .	२९४
(२) मन्त्रियों द्वारा वक्तव्य . . .	१०

९. आधे घंटे की चर्चायें . . . . कोई नहीं

१०. सरकारी संकल्प

(१) प्रस्तुत किये गये . . .	१
(२) स्वीकृत	१

११. गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प

(१) प्राप्त हुए	७३९
(२) गृहीत किये गये . . .	५८४
(३) जिन पर चर्चा हुई . . .	५
(४) वापस लिये गये . . .	१
(५) अस्वीकृत	२
(६) स्वी कृत	कोई नहीं
(७) जिन पर अंशतः चर्चा हुई . .	२

१२. सरकारी प्रस्ताव

(१) प्रस्तुत किये गये . . .	१
(२) स्वीकृत	१

१३. गैर सरकारी सदस्यों के प्रस्ताव

(१) प्राप्त हुए	१३१ (प्रस्तावों की पूर्व सूचनायें)
(२) गृहीत किये गये . . .	४१
(३) प्रस्तुत किये गये . . .	३
(४) स्वीकृत	२
(५) जिन पर आंशिक रूप में चर्चा की गयी .	१

१४. संविधित नियमों में रूपभेद करने के बारे में प्रस्ताव

(१) प्राप्त हुए	१३
(२) गृहीत किये गये . . .	९
(३) प्रस्तुत किये गये . . .	९

१५. स्थगन प्रस्ताव

(१) सभा के सम्मुख रखे गये . .	कोई नहीं
(२) गृहीत किन्तु सभा की अनमति प्राप्त नहीं हुई .	कोई नहीं

(३) नियम वाले . . . . . कोई नहीं

(४) अध्यक्ष द्वारा अनुमति नहीं दी गयी . . कोई न ीं

१६. गृहीत प्रश्न

(१) तारांकित ३५६

(२) अतारांकित (उन तारांकित प्रश्नों समेत जिन्हें अतारांकित बना दिया गया) . . . ८५३

(३) अल्प सूचना प्रश्न . . . १५

१७. संसदीय समितियों के प्रतिवेदन उपस्थापित

(१) लोक लेखा समिति . . . . ४.

(२) प्राक्कलन समिति . . . ४

(३) कार्य मन्त्रणा समिति . . . ४

(४) लोकसभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति. . . . . १.

१८. जिन सदस्यों को अनुपस्थित रहने की अनुमति दी गयी . ६

केन्द्रीय शिशिक्षुता परिषद् नियमों इत्यादि में रूप भेद करने के बारे में प्रस्ताव . . . २१३७—४५

श्री इन्द्रजीत गुप्त . . . . . २१३७—४०

श्री बड़े २१४०–४१

श्री बूटा सिंह २१४१–४२

श्री काशीनाथ पांडे २१४२

श्री कछवाय २१४३

श्री र० कि० मालवीय . . . . २१४३—४५

अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों को उचित स्तर पर बनाये रखने के बारे में प्रस्ताव २१४५—४८

श्री इन्द्रजीत गुप्त २१४५–४६

डा० पं० शा० देशमुख . . . २१४७

श्री हेम बरुआ २१४७

श्रीमती रेणुका राय २१४७–४८

दैनिक संक्षेपिका २१४९—५४

तीसरे सत्र (भाग १), १९६२ का कार्यवाही संक्षेप . .

समेकित विषय-सूची ५ से ११ दिसम्बर, १९६२/१४ से २० अग्रहायण, १८८४ (शक) . . . . . .

PLS. 41. XI. 26. 62.
140

© १९६२ प्रतिलिप्याधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।